

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रतिशतता के रूप में चल लक्ष्य

तालिका 1: राजकोषीय संकेतक (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

		संशोधित अनुमान 2020-21	बजट अनुमान 2021-22
1.	राजकोषीय घाटा	9.5	6.8
2.	राजस्व घाटा	7.5	5.1
3.	प्राथमिक घाटा	5.9	3.1
4.	सकल कर राजस्व	9.8	9.9
5.	कर-भिन्न राजस्व	1.1	1.1
6.	केंद्रीय सरकार का ऋण जिसमें से ईबीआर के कारण देयताएं	3.1	2.9

1. वर्ष 2020-21 में कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था पर भयंकर आघात किया। चार महीनों के दौरान अधिकांश समय अर्थव्यवस्था के साथ सरकार के वित्तीय साधन दबाव में थे और विशेषकर वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में स्थिति अत्यन्त गंभीर थी। इस पृष्ठभूमि में, अर्थव्यवस्था के संभावित नतीजों के निकट बने रहने के लिए, सरकार ने सं.अ. 2020-21 और ब.अ. 2021-22 के लिए ऊपर सारणी में दिए अनुसार अपने राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया।

2. प्रथम तिमाही में सरकार के राजकोषीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण इस तनाव के परिमाण के रूप में दिया गया है। पहली तिमाही के अंत में बजट अनुमान के अनुपात में कर प्राप्तियां 13.2 प्रतिशत के 20 वर्षीय औसत की तुलना में 6.8 प्रतिशत थीं। हालांकि, पर्याप्त राहत व्यय सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने सुनिश्चित किया कि व्यय ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से अधिक रहे। बजट अनुमान के एक अनुपात के रूप में पहली तिमाही का व्यय बजट अनुमान के 22.4 प्रतिशत के 20 वर्षीय औसत से कहीं अधिक 26.8 प्रतिशत था। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार की अपनी स्वयं की प्राप्तियों (कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों, कर-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों) से कुल व्यय के सिर्फ 18.8 प्रतिशत को पूरा किया जा सकता था। संसाधनों के परिणामी अंतर की अल्पावधि और दीर्घावधि ऋणों के संयोजन से पूर्ति की गई। 20 वर्ष का औसत 42.4% है। वर्ष के बीतने के साथ-साथ कर प्राप्तियों में वृद्धि के साथ राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है।

3. तालिका 1 में दिया गया स्नेपशाट ऊपर उल्लिखित भयंकर आघात को प्रतिबिंबित करता है। 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में संशोधित अनुमान चरण पर यह प्रत्याशा की जाती है कि राजकोषीय घाटा 9.5 प्रतिशत होगा। बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 6.8 प्रतिशत के बराबर होने का अनुमान लगाया गया है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य, आजीविका और आर्थिक उत्प्रेरक पर किए गए व्यय में वृद्धि और प्राप्तियों में कमी का समकालिक रूप से होना राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी का कारण है। यह अनुमान लगाया गया है कि संशोधित अनुमान 2020-21 में जीडीपी के प्रति सकल कर राजस्व अनुपात और जीडीपी के प्रति कुल व्यय अनुपात बजट अनुमान 2020-21 के 10.8 प्रतिशत और 13.5 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 9.8 प्रतिशत और 17.7 प्रतिशत होगा। बजट अनुमान की तुलना में और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जबकि सकल कर राजस्व में एक प्रतिशत बिंदुओं की कमी दर्शित होने का अनुमान लगाया गया है वहीं कुल व्यय में 4.2 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि दर्शित होने का अनुमान है।

4. बजट अनुमान 2021-22 में आंकलन है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत होगा। यह प्रत्याशित है कि घाटे में मुख्य कमी व्यय के संशोधित अनुमान 2020-21 में जीडीपी के 17.7 प्रतिशत से घटकर बजट अनुमान 2021-22 में 15.6 प्रतिशत होने और सकल कर राजस्व में मामूली बढ़ोतरी होने, जो जीडीपी का 0.1 प्रतिशत है, के कारण हुई है।

5. बजट अनुमान 2020-21 में जीडीपी के 3.5 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा अनुमान संशोधित करके संशोधित अनुमान 2020-21 में जीडीपी का 9.5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह प्रमुखतया अर्थव्यवस्था पर पड़े कोविड-19 महामारी के प्रभाव और उल्लेखनीय रूप से कम (कर एवं कर-भिन्न) प्राप्तियों के कारण हुआ है। हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत रखा गया है जो राजकोषीय समेकन मार्ग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

6. जबकि सरकार ने महामारी से प्रभावित लोगों को राहत एवं समर्थन मुहैया कराया, वहीं सरकार ने अपने संरचनागत सुधार उपायों को जारी रखा। आयकर में फेसलेस आंकलन और फेसलेस अपील जैसी पहल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पहल कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। इन उपायों के प्रभाव निकट भविष्य से लेकर मध्यावधि काल में देखें जाएंगे, विशेषकर बेहतर कर संग्रहणों और आर्थिक विकास के मौर्चों पर, जिसका श्रेय देश में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन को दिया जा सकता है।

7. वर्ष के दौरान सरकार महामारी द्वारा पेश चुनौतियों के प्रति जवाबी कार्रवाई करने में नियमित अंतरालों पर गतिशील बनी रही। 26 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से शुरू करके 12 नवम्बर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 तक नियमित अंतरालों पर आर्थिक पैकेजों की घोषणा की गई। इसने वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही में बेहतर राजस्व अंतर्वाह के साथ अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में मदद की है।

8. बजट 2021-22 में संरचनागत सुधार उपायों के साथ सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए एफआरबीएम अधिनियम के प्रस्तावना में निहित इसके अधिदेश पर ध्यान केंद्रित किया। संशोधित अनुमान 2020-21 में सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के खाद्य सब्सिडी से संबंधित 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बकाया ऋणों की पूर्व-अदायगी करने का अनुमान लगाया है। बजट अनुमान 2021-22 में भारतीय खाद्य निगम की खाद्य सब्सिडी जरूरतों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

9. सरकार ने संशोधित अनुमान 2020-21 और बजट अनुमान 2021-22 दोनों के व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। राजकोषीय एकल खाता (टीएसए), जिसे वित्त वर्ष 2018-19 में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित किया गया था, का स्कोप बढ़ाया गया था ताकि उसमें इस वित्तीय वर्ष और अधिक स्वायत्त निकायों को शामिल किया जा सके और उसे 2021-22 में सर्वव्यापी बनाया जा सके। क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियां निधियों को बेकार पड़े रहने देती हैं, टीएसए व्यय दक्षता में सुधार लाएगा। बजट अनुमान 2021-22 में सरकार ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित किया है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में बजट अनुमान 2021-22 में कैपेक्स संशोधित अनुमान के 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 15.9 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह 3.2 प्रतिशत बिंदुओं से अधिक की वृद्धि होगी। अवसंरचनागत खर्च पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उच्चतर पूंजीगत व्यय के साथ बजट अनुमान 2021-22 का जारी सुधार प्रक्रिया पर बहुगुणक प्रभाव पड़ेगा।

संशोधित अनुमान 2020-21 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

10. सरकार की राजकोषीय नीति घाटे में क्रमिक कमी और राजकोषीय समेकन की दिशा में प्रगामी संचलन के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है। सरकार सख्त राजकोषीय योजना बनाए रखने की जरूरत के प्रति पूरी तरह अवगत है। हालांकि, निरंतर बदलते घरेलू एवं वैश्विक परिदृश्यों तथा चुनौतियों के बीच राष्ट्र के परिकल्पित सामाजिक-आर्थिक विकास और समृद्धि के आलोक में एफआरबीएम लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई भी राजकोषीय एकसूची निर्धारण की सलाह नहीं दी जा सकती। वर्तमान संदर्भ में आर्थिक विकास को अपेक्षित प्रोत्साहन देने के लिए उच्चतर सार्वजनिक व्यय की जरूरत निर्णायक रूप से महसूस की जाती है।

11. राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 3.5 प्रतिशत के बजटीय स्तर की तुलना में संशोधित अनुमान 2020-21 में जीडीपी के 9.5 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया है। इसके लिए कोविड-19 महामारी के आलोक में सरकार द्वारा घोषित विभिन्न स्कीमों के

कारण बढ़े हुए व्यय और राजस्व प्राप्तियों (कर एवं कर-भिन्न दोनों) में तीव्र बढ़ोतरी और विनिवेश प्राप्तियों में काफी गिरावट होने को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमान बजट अनुमान 2020-21 के बजट निहित 2,24,967 करोड़ रुपए की तुलना में 46,497 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटे का संपूर्ण मूल्य संशोधित करके संशोधित अनुमान 2020-21 में 18,48,655 करोड़ कर दिया गया है। इस तरह बजट अनुमान 2020-21 के राजकोषीय घाटा प्रोजेक्शनों की तुलना में 10,52,318 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

12. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल कर राजस्व (जीटीआर) अनुमान में मुख्यतया कारपोरेशन टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी के प्रत्याशित से कम संग्रहण होने के कारण, 5,22,740 करोड़ रुपए की कमी हुई है। बजट अनुमान 2020-21 के लिए अप्रत्यक्ष कर 10,99,520 करोड़ रुपए पर बजट निहित किए गए थे जिसे संशोधित अनुमान 2020-21 में अधोमुखी रूप से संशोधित करके 9,92,219 करोड़ कर दिया गया है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण में भी अधोमुखी संशोधन किया गया है और इसे बजट विहित 13,19,000 करोड़ रुपए की तुलना में 9,05,000 करोड़ रुपए और कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति को संशोधित अनुमान 2020-21 के 2,10,000 करोड़ रुपए से 3,85,017 करोड़ कर दिया गया है। पूंजीगत पर पूंजीगत प्राप्ति में, ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति, जिसमें ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां, विनिवेश प्राप्ति शामिल हैं, बजट अनुमान 2020-21 में 2,24,967 करोड़ रुपए पर बजट विहित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान 2020-21 में कम करके 46,497 करोड़ कर दिया गया है। कुल निवल उधार (दिनांकित जी सेक्स +टी-बिल) को 5,35,869.62 करोड़ पर बजट विहित किया गया था जिसे संशोधित अनुमान 2020-21 में संशोधित करके 12.74 लाख करोड़ किया जाना पड़ा है।

13. संशोधित अनुमान 2020-21 में कुल व्यय के बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में 4,08,075 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 34,50,305 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है जो 2019-20 के अंतिम वास्तविक की तुलना में 28.4 प्रतिशत अधिक है। राजस्व व्यय बजट अनुमान 2020-21 के बजट विहित 26,30,145 करोड़ रुपए से संशोधित करके 30,11,142 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमान 2020-21 के 4,12,085 करोड़ रुपए से संशोधित करके 4,39,163 करोड़ कर दिया गया है। पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2019-20 के वास्तविक की तुलना में 30.8 प्रतिशत वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई है।

बजट अनुमान 2021-22 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण

14. 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। सं.अ. 2020-21 से राजकोषीय घाटे में यह तीव्र गिरावट, अर्थव्यवस्था के राजकोषीय स्वास्थ्य की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। सकल कर राजस्व (जीटीआर) बजट अनुमान 2021-22 में, संशोधित अनुमान 2020-21 के आंकड़ों की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22,17,059 करोड़ रुपए पर बजट विहित किया गया है। प्रत्यक्ष कर संशोधित अनुमान 2020-21 की तुलना में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बजट अनुमान 2021-22 में 11,08,000 करोड़ रुपए पर अनुमानित किया गया है। अप्रत्यक्ष कर संग्रहण ब.अ. 2021-22 में 11,05,327 करोड़ रुपए अनुमानित है सं.अ. 2020-21 पर 11.4% की वृद्धि दर्शाता है। 2021-22 में कर-भिन्न राजस्व संग्रहण संशोधित अनुमान 2020-21 की तुलना में 15.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2,43,028 करोड़ रुपए पर अनुमानित किया गया है।

15. ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्ति के बजट अनुमान 2021-22 में 1,88,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो संशोधित अनुमान 2020-21 की तुलना में 1,41,503 करोड़ की वृद्धि इंगित करता है। ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्ति में वृद्धि मुख्यतया विनिवेश के कारण हुई है जो संशोधित अनुमान 2020-21 में 32,000 करोड़ रुपए की तुलना में 1,75,000 करोड़ रुपए पर बजट विहित की गई है। बजट अनुमान 2021-22 में कुल निवल उधार संशोधित अनुमान 2020-21 के 12,73,788 करोड़ रुपए की तुलना में 9,67.708 करोड़ रुपए पर परिकल्पित किया गया है।

16. वित्त वर्ष 2021-22 में कुल व्यय, संशोधित अनुमान 2020-21 के 34,50,305 करोड़ रुपए की तुलना में 34,83,236 करोड़ रुपए पर रखा गया है। बजट अनुमान 2021-22 में राजस्व व्यय संशोधित अनुमान 2020-21 के 30,11,142 करोड़ रुपए की तुलना में मामूली कमी के साथ 29,92,000 करोड़ रुपए पर बजट विहित किया गया है। दूसरी ओर, पूंजीगत व्यय बजट अनुमान 2021-22 में 5,54,236 करोड़ रुपए आंकलित किया गया है। जो ब.अ. 2020-21 की तुलना में 34.5% की वृद्धि दर्शाता है।

ख. राजकोषीय संकेतकों में अंतर्निहित पूर्वानुमान

1. राजस्व प्राप्तियां

क. कर राजस्व-क्षेत्रीय और जीडीपी वृद्धि दर

17. सकल कर राजस्व (जीटीआर) ब.अ. 2020-21 (23,24,020 करोड़ रुपए) से 5,22,741 करोड़ रुपए की कमी के साथ सं.अ. 2020-21 में संशोधित करके 19,00,280 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस कमी के मुख्य कारण कोविड-19 महामारी और देश के परिणामी लॉकडाउन के कारण कारपोरेशन टैक्स, संघीय उत्पाद शुल्कों और सीमा-शुल्कों में कमतर प्राप्तियां हैं। ब.अ. 2021-22 के लिए जीटीआर के 22,17,059 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जो जीडीपी का 9.9 प्रतिशत और सं.अ. 2020-21 की तुलना में 16.7 प्रतिशत अधिक है। कर राजस्व में अनुमानित बढ़ोतरी, प्रारंभिक रिकवरी के मद्देनजर नीचे की ओर जाती प्रतीत होती है।

18. ब.अ. 2021-22 में प्रत्यक्ष कर संग्रहणों के 11,08,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो सं.अ. 2020-21 की तुलना में 2,03,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्शाता है। यह अनुमान है कि 2021-22 में प्रत्यक्ष कर जीटीआर का 49.97 प्रतिशत हिस्सा बनेंगे और यह तदनुसारी वर्ष के लिए जीडीपी का 5 प्रतिशत है।

19. वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण 11,05,327 करोड़ रुपए पर बजट विहित किया गया है जो सं.अ. 2020-21 की तुलना में 1,13,108 करोड़ रुपए अधिक है। अप्रत्यक्ष करों में, जीएसटी के 22.3 प्रतिशत की दर से उच्चतम वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ोतरी दर्शाने की उम्मीद है। इसके बाद निम्नलिखित अनुमानों के साथ 21.4 प्रतिशत पर सीमा शुल्क का स्थान आता है।

क. अगले वित्तीय वर्षों में अप्रत्यक्ष कर नीति में कोई भारी बदलाव नहीं होगा।

ख. केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में, एमएस/एचएसडी पर विनिर्दिष्ट शुल्क दर संरचना के कारण औसत पेट्रोलियम क्षेत्र खपत बढ़ोतरी को हिसाब में लिया गया है।

ख. कर-भिन्न राजस्व-नीतिगत अभिमत

20. कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक सेक्टर, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों, सामान्य सेवाओं, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं जैसे प्रसारण और मेडिकल एवं लोक स्वास्थ्य आर्थिक सेवाओं जैसे टेलीकॉम प्राप्तियां और अपतटीय ऑयलफील्ड से प्राप्तियां, रेलवे राजस्व, आदि से लाभांश एवं मुनाफे समाहित हैं।

21. एनटीआर के तहत प्राप्तियों के सं.अ. 2020-21 (2,10,653 करोड़ रुपए) से 15.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ब.अ. 2021-22 में 2,43,028 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

ग. राज्यों को अंतरण - वित्त आयोग

22. संविधान के अनुच्छेद 280 की शर्तों के अनुसार 27 नवम्बर, 2017 को पन्द्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 2019 में आयोग को 2019 में अपने टीओआर में संशोधन करके दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया था। पहली रिपोर्ट, जो राष्ट्रपति

को 5 दिसम्बर, 2019 को प्रस्तुत की गई थी, में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशें दी गई हैं। आयोग ने नवम्बर, 2020 में 2021-22 से 2025-26 से संबंधित अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

23. राज्यों को अंतरण 15वें वित्त आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में अंतिम रूप दिए गए फार्मूला पर आधारित है। ब.अ. 2021-22 में राज्यों को कर का अंतरण 6,65,563 करोड़ रु. अनुमानित किया गया है, सं.अ. 2020-21 में राज्य का हिस्सा 5,49,959 करोड़ रु. है। ब.अ. 2021-22 में राज्यों को वित्त आयोग के अनुदान सं.अ. 2020-21 (1,82,352 करोड़ रुपए) की तुलना में 38,491 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 2,20,843 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है।

2. पूंजीगत प्राप्तियां-ऋण स्टॉक, चुकौती, नया ऋण और नीतिगत अभिमत

24. ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के दो मुख्य संघटक ऋण एवं अग्रिम की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां हैं। ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां स.अ. 2020-21 के 46,497 करोड़ रुपए की तुलना में ब.अ. 2021-22 में 1,88,000 करोड़ रुपए आंकलित की गई है।

क. ऋणों की वसूलियां

25. सं.अ. 2020-21 में ऋणों की वसूलियों के 14,497 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। चूंकि राज्यों को आगे कोई भी नए उधार दिए जाने, बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) हेतु लिए गए ऋणों के परस्पर अंतरण के सिवाय, की उम्मीद नहीं है, इसलिए इस प्राप्त में ह्रासमान प्रवृत्ति दर्शित होती है। ऋणों की वसूली के अन्य स्रोत ऋणों की चुकौती के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से है, जिन्हें पूर्व में ऋण दिया गया था। हालांकि, लोक उद्यमों द्वारा लिए गए ऋणों की चुकौती घाटा सह रहे और रुग्ण लोक उद्यमों से गैर-वसूली के कारण प्रभावित होती है।

ख. अन्य ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां

26. बीएसबी और वित्तीय संस्थानों में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के साथ लोक उद्यमों के हिस्सेदारी की बिक्री के कारण विनिवेश प्राप्तियां, जिसमें परिसम्पत्तियों की कार्यनीतिक बिक्री शामिल है, इस प्राप्ति में योगदान करती है। विनिवेश प्राप्तियां ब.अ. 2020-21 में बजट निहित 2,10,000 करोड़ रुपए से स.अ. 2020-21 में संशोधित करके 32,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ब.अ. 2021-22 में विनिवेश प्राप्तियां 1,75,000 करोड़ रुपए पर बजट विहित की गई हैं।

ग. उधार- लोक ऋण एवं अन्य देयताएं

27. वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों, जिनमें बॉयबैंक/स्विचेज शामिल नहीं है, के माध्यम से सकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः 7,80,000 करोड़ और 5,44,870 करोड़ रुपए पर बजट विहित की गई थीं। वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से वास्तविक सकल एवं निवल बाजार उधारियां क्रमशः 7,10,000 करोड़ रुपए और 4,73,972 करोड़ रुपए पर बनी रहीं। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधारियां 2020-21 में सकल रोजकोषीय घाटे (ब.अ.) के 64.15 प्रतिशत का वित्तपोषण करने के लिए बजट विहित की गई थी। अन्य स्रोत जैसे ट्रेजरी जिलों से निवल उधारी, लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि, निवल बाह्य सहायता और नकद आहरण कमी से निवल उधारी जीएफडी के शेष 35.85 प्रतिशत का वित्त-पोषण करने के लिए बजट विहित किए गए थे।

28. वित्त वर्ष 2020-21 के प्रथमार्ध के लिए बाजार उधारियां वर्ष के लिए सकल बाजार उधारी के लगभग 62.56 प्रतिशत (4,88,000 करोड़ रुपए) पर रखी गई थीं। यह योजना बनाई गई थी कि शेष धनराशि यानि 2,92,000 करोड़ रुपए जो वित्त वर्ष के लिए बजट विहित सकल बाजार उधारी के 37.44 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है, उत्तरार्ध में उधार ली जाएगी। हालांकि, कोविड-19

महामारी के फैलाव को रोकने के लिए मार्च, 2020 में लगाए गए लॉकडाउन के कारण सरकारी प्राप्तियों में प्रत्याशित उल्लेखनीय कमी की बजह से दिनांकित प्रतिभूतियां अप्रैल, 2020 में संशोधित करके 12,00,000 करोड़ रुपए और अक्तूबर, 2020 में आगे और संशोधित करके 13,10,000 करोड़ रुपए कर दी गई ताकि जीएसटी में हुई कमी के प्रति राज्यों को प्रतिपूर्ति की जा सके। ट्रेजरी बिलों के तहत उधारी को 25,000 करोड़ रु. के बजटीय अनुमान से संशोधित करके 1,25,000 करोड़ रु. किया गया ताकि सरकार की प्राप्तियों की कमी को पूरा किया जा सके।

29. वित्त वर्ष 2020-21 (31 दिसम्बर, 2020 तक) में सकल और निवल बाजार उधारियां कुल मिलाकर क्रमशः 10,49,975 करोड़ रुपए (2020-21 के लिए 13,10,000 करोड़ रुपए की बजट विहित सकल उधारियों का 80.15 प्रतिशत) और 8,44,043 करोड़ रुपए (2020-21 के लिए 5,10,870 करोड़ रुपए की बजट विहित निवल उधारियों का 165.21 प्रतिशत रहीं।

30. 2020-21 के दौरान सॉवरेन गोल्ड स्कीम (एसजीबी) स्कीम की नियोजित 12 श्रृंखलाओं में से 8 श्रृंखलाएं 11,855 करोड़ रुपए इतनी राशि के 23,809.2 किग्रा. सोना का कुल अंशदान के साथ पूरी कर ली गई है (30 नवम्बर, 2020 तक)। वर्ष के दौरान अब तक निवल ट्रेजरी बिल वसूली, टी-बिलों की साप्ताहिक नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी मार्ग के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा उच्चतर निवेश से आने वाले अंशदान के साथ बजट विहित आंकलनों से अधिक रही है।

31. राजकोषीय वर्ष 2020-21 में (31 दिसम्बर, 2020 तक) रुपये दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन की भारत औसत परिपक्वता अवधि पिछले वर्ष के 16.07 वर्ष की तुलना में 14.83 वर्ष थी। राजकोषीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राथमिक निर्गमन की भारत औसत लाभ पिछले वर्ष के 6.86 प्रतिशत से घटकर 5.79 प्रतिशत हो गया जो कम लाभ वातावरण को दर्शाता है।

32. केंद्र सरकार की संपूर्ण दायिताओं में से मार्च, 2020 के अंत तक लगभग 94.0 प्रतिशत घरेलू दायिताएं और 6.0 प्रतिशत विदेशी दायिताएं हैं।

33. दिनांकित प्रतिभूतियां मुख्यतः घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा रखी जाती हैं। वाणिज्यिक बैंकें सबसे बड़ी निवेशक होती हैं और वर्तमान में सितम्बर, 2020 के अंत तक उनके पास आशोधित दिनांकित प्रतिभूतियों का लगभग 38.6 प्रतिशत है और सितम्बर, 2019 के अंत में आशोधित प्रतिभूतियों का 39.7 प्रतिशत तथा दिसम्बर, 2019 के अंत में आशोधित प्रतिभूतियों का 39.1 प्रतिशत था। सरकारी प्रतिभूतियों में दूसरी बड़ी निवेशक कोटि बीमा कंपनियां होती हैं जो सामान्यतः अपनी दीर्घकालिक देयताओं के कारण दीर्घावधिक प्रतिभूतियां पसंद करती हैं। जैसा कि सितम्बर, 2020 के अंत में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में बीमा कंपनियों का शेयर पिछले वित्त वर्ष के अंत में 24.9 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 25.3 प्रतिशत हो गया। भविष्य निधि सरकारी प्रतिभूतियों के मांग का दूसरा स्थायी स्रोत है जिसका शेयर सितम्बर, 2020 के अंत तक 4.8 प्रतिशत है।

34. सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेश के लिए 30 मार्च, 2020 को एक नया मार्ग, पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) आरंभ किया गया था। विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में इस मार्ग के अंतर्गत निवेश बिना किसी प्रतिबंध का है और इस प्रकार घरेलू प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है और विदेशी निवेशकों के शेयर में अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है, इस प्रकार निवेशक आधार में और अधिक विस्तार होगा।

35. सरकार ने बाजार पर अपना राजकोषीय प्रोत्साहन के प्रभाव को सरल करने के लिए अल्पावधिक ऋण और एनएसएलएफ के ऋण को बढ़ाने का रुख किया है। एक अल्पकालिक ऋणों पर अधिक विश्वास करना है। संशोधित अनुमान स्तर पर यह अनुमान है कि सरकार बजट अनुमान 2020-21 में अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए की तुलना में अपने राजकोषीय घाटे में वित्तपोषण के लिए टी-बिल

का 2,25 लाख करोड़ उपयोग करेगी। सरकार ने अपने घाटे के वित्तपोषण के एक स्रोत के रूप में एनएसएसएफ का उपयोग करने की भी योजना बनाई है। संशोधित अनुमान 2020-21 में सरकार ने अपने घाटे का लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषण एनएसएसएफ के माध्यम से करने की योजना बनाई है।

36. राजकोषीय समेकन की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, 2020-21 के राजकोषीय घाटा के लिए संशोधित अनुमान 2019-20 के सकल घरेलू उत्पाद के 3.8 प्रतिशत से कम करके जीडीपी का 3.5 प्रतिशत करने का बजट प्रावधान किया था। बहरहाल, कोविड-19 आने के कारण सरकारी प्राप्तियों में पूर्वानुमानित गिरावट के कारण सरकारी बाजार ऋण में संशोधन करना पड़ा। 2021-22 के बजट में कुल 15,06,811 करोड़ के ऋण का प्रावधान किया गया है। सरल शब्दों में, निवल ऋण अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 18.52 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

37. केंद्रीय सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात 2001-02 में 61.4 प्रतिशत से लगातार देखी गई गिरावट के पश्चात हाल की वर्षों में स्थिर हुआ है विशेष रूप से एफआरबीएम अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात। तथापि, केंद्रीय सरकार की देयताएं वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि में गिरावट और निम्न प्राप्तियों के कारण मार्च, 2020 के (मार्च, 2019 के अंत तक 45.7 प्रतिशत तक) अंत तक जीडीपी के 47.7 प्रतिशत तक बढ़ी हैं राजकोषीय घाटे के उल्लिखित कारणों से संशोधित अनुमान 2020-21 में अनुमानित की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक 9.5 प्रतिशत की और वृद्धि होने की संभावना है। केंद्रीय सरकार का ऋण जीडीपी अनुपात अपेक्षाकृत अधिक ऋणों के कारण 3.1 प्रतिशत तक बढ़ना अनुमानित है। कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितता चुनौतीपूर्ण वापसी सहित आर्थिक समृद्धि और राजकोषीय परिवर्तनों का कोई पूर्व अनुमान नहीं किया जा सकता है। सरकार अपनी लम्बे औसत से शीघ्र आर्थिक समृद्धि और प्राप्तियों के राजकोषीय समेकन के मार्ग पर लौटने का प्रयास करती है।

3. कुल व्यय-नीति अवस्थिति

38. कुल व्यय, जिसका बजट अनुमान 2020-21 में 30,42,230 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, बजट अनुमान 2020-21 में बेहतर करके 34,50,305 करोड़ रुपए (13.4 प्रतिशत की वृद्धि) किया गया है जो जीडीपी का 17.7 प्रतिशत है। यह वृद्धि मुख्यतः खाद्य सप्लाय, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास के लिए आबंटन में वृद्धि के कारण है। संशोधित अनुमान 2020-21 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आबंटन में संशोधन करके बजट प्रावधान 1,22,235 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,38,649 करोड़ रुपए कर दिया गया है। डीएफपीडी के उपर्युक्त आबंटन में वृद्धि किए जाने के मुख्य कारण निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया कराने की सरकार द्वारा की गई आर्थिक पैकेज की घोषणा और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एनएसएसएफ ऋण जो बकाया थे के पूर्वभुगतान के कारण आवश्यकता बढ़ी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को 65,012 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की तुलना में 78,866 करोड़ रुपए आबंटित किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाओं के आबंटन में भारी वृद्धि करके 8,31,825 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,63,690 करोड़ रुपए (52 प्रतिशत की वृद्धि) किया गया है। अनुमान है कि कुल व्यय संशोधित अनुमान 2020-21 की तुलना में बजट अनुमान 2021-22 में 1 प्रतिशत बढ़कर 34,83,236 करोड़ रुपए हो जाएगा जो जीडीपी का 15.6 प्रतिशत है।

क. राजस्व व्यय

39. संशोधित अनुमान 2020-21 में राजस्व व्यय में बजट अनुमान 2020-21 के दौरान 26,30,145 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था को बढ़ाकर 30,11,142 करोड़ रुपए किया गया है जो 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राजस्व व्यय जो बजट अनुमान 2020-21 में कुल व्यय का 86.5 प्रतिशत था, संशोधित अनुमान 2020-21 में थोड़ा-सा बढ़ाकर 87.3 प्रतिशत कर दिया गया है। राजस्व व्यय में वृद्धि का कारण आत्मनिर्भर भारत और गरीब कल्याण योजना के कारण अतिरिक्त व्यय है।

40. सरकार के राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण घटक में ब्याज भुगतान, सब्सिडियां, वेतन, पेंशन, रक्षा, राजस्व व्यय, केंद्रीय पुलिस संगठन पर व्यय और वित्त आयोग अनुदान के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को किया गया राजस्व अंतरण, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और अन्य अंतरण शामिल हैं। जीएसटी के क्रियान्वयन, केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कारण राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्यों को किए गए अंतरण भी राजस्व प्रकृति के हैं।

i. ब्याज भुगतान

41. ब्याज भुगतान सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है। ब्याज भुगतान व्यय जिसके लिए 7,08,203 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है, संशोधित अनुमान 2020-21 में अधोगामी संशोधन करके 6,92,900 करोड़ कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद, कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के हिस्से को 35 प्रतिशत से संशोधित करके 44.6 प्रतिशत किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान के कारण राजस्व व्यय के लिए 8,09,701 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जाता है। जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 45.3 प्रतिशत है। बाजार में नगदी की उपलब्धता और आरबीआई के समायोजन मुद्रा नीति के कारण कुछ समय में ब्याज भुगतान में कमी आने की संभावना है।

ii. प्रमुख सब्सिडियां

42. बड़ी सब्सिडियों जैसे कि खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर राजस्व व्यय कुल व्यय का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बना रहा है। बजट अनुमान 2020-21 में इन तीन सब्सिडियों के लिए 2,27,794 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था जिसमें 161 प्रतिशत की वृद्धि करके 5,95,620 करोड़ कर दिया गया है। इस भारी उछाल में सबसे अधिक हिस्सेदारी खाद्य सब्सिडी की है जिसमें बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में 289 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह कोविड-19 महामारी से संबंधित तालाबंदी के दौरान सरकार द्वारा नागरिकों को निःशुल्क राशन दिए जाने और लगभग 1.5 लाख करोड़ का एफसीआई के साथ एनएसएसएफ ऋण के पूर्वभुगतान के प्रावधान के कारण है। बजट अनुमान 2021-22 में प्रमुख सब्सिडियों के लिए 3,36,439 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है जो संशोधित अनुमान 2020-21 की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 43.5 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। यह सरकार के खर्च में सब्सिडी यौक्तिकरण के अंतर्वाह को दर्शाता है।

iii. रक्षा सेवाएं

43. रक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय में मुख्यतः वेतन, भण्डार सहित स्थापना से संबंधित अन्य व्यय, निर्माण से संबंधित अनुक्षण व्यय, वरिष्ठ और अन्य विविध व्यय शामिल हैं। इसके अंतर्गत राजस्व व्यय में 2,09,319 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है जिसमें थोड़ी कमी करके 2,09,312 करोड़ रुपए किया गया है जो 2019-20 के अनंतिम वास्तविक बजट की तुलना में 0.84 प्रतिशत की थोड़ी वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा सेवाओं के कारण राजस्व व्यय परिव्यय के लिए 2,12,028 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जो संशोधित अनुमान 2020-21 से 1.3 प्रतिशत अधिक है।

iv. वित्त आयोग अनुदान

44. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्यों को वित्त आयोग अनुदान दिया जाता है। वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत राज्यों को किया गया वर्तमान अंतरण राजस्व घाटा अनुदान राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के लिए सहायता अनुदान और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। बजट अनुमान 2020-21 में वित्त आयोग के लिए 1,49,925 करोड़ रुपए को अंतरण का अनुमान है जो पिछले वर्ष के अनुदान (अनंतिम वास्तविक 2019-20) से 21 प्रतिशत अधिक है। बजट अनुमान 2020-21 में इस अनुदान में भारी वृद्धि करके 1,82,352 करोड़ रुपए किया गया है जो बजट राशि से 22 प्रतिशत अधिक है। राज्यों को दिया जाने वाला वित्त आयोग अनुदान में वित्त वर्ष 2021-22 में 2,20,843 करोड़ के साथ वृद्धिगत प्रवृत्ति जारी रही जो संशोधित अनुमान 2020-21 में संशोधित आबंटन से 21 प्रतिशत अधिक है।

V. पेंशन

45. पेंशन के अंतर्गत राजस्व व्यय में तीन मुख्य घटक अर्थात् सिविल पेंशन जो कुछ अपवाहों को छोड़कर संघीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के पेंशन व्यय को पूरा करता है, रक्षा पेंशन और दूरसंचार विभाग के अंतर्गत पेंशन/संशोधित अनुमान 2020-21 में पेंशन व्यय के लिए 2,04,393 करोड़ रुपए का अनुमान है जो बजट अनुमान 2020-21 में 2,106,82 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान से थोड़ा कम है। बजट अनुमान 2021-22 में पेंशन व्यय 1,89,328 करोड़ रुपए पर रखा गया जो संशोधित अनुमान 2020-21 से 7.4 प्रतिशत कम है। यह कमी रक्षा कर्मियों के बकाया भुगतान के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में मुहैया कराई गई अतिरिक्त निधि के कारण है।

पूंजी परिव्यय

46. संशोधित अनुमान 2020-21 में सरकार का पूंजीगत व्यय बजट अनुमान 2020-21 के 4,12,085 करोड़ रुपए बजट प्रावधान से बढ़कर 4,39,163 करोड़ रुपए किया गया है जो 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, रेलवे, रक्षा, राज्यों को अंतरण, स्वास्थ्य एवं एमएसएमई आदि पर व्यय के कारण है। बजट अनुमान 2021-22 में पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि करके 5,54,236 करोड़ रुपए की गई है जो संशोधित अनुमान 2020-21 से 26.2 प्रतिशत की वृद्धि और बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में बजट अनुमान 2020-21 में 1.8 प्रतिशत और बजट अनुमान 2021-22 में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4. जीडीपी वृद्धि

47. कोविड-19 महामारी और उससे संबंधित प्रतिबंधों के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर में भारी गिरावट देखने को मिली। जीडीपी में वृद्धि की गति में पुनर्वृद्धि उत्साहवर्धक जीडीपी संग्रहण और अन्य आर्थिक गतिविधियों के रूप में पहले ही महसूस की जा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 4.2 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। अपेक्षा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में मामूली वृद्धि होकर 14.4 प्रतिशत हो जाएगी।

ग. निम्नलिखित से संबंधित स्थायित्व का आंकलन-

1. राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन:

48. कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (निवल) और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों शामिल हैं। 2020-21 का संशोधित अनुमान बजट अनुमान है 4,65,773 करोड़ की कम राजस्व प्राप्ति को दर्शाता है जो मुख्यतः कर राजस्व में गिरावट के कारण है। तुलनात्मक रूप से, राजस्व व्यय में बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में सं.अ. 2020-21 में 3,80,997 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। राजस्व घाटा जीडीपी का 7.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है जिसमें अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण काफी वृद्धि है।

49. बजट अनुमान 2021-22 में राजस्व प्राप्ति जीडीपी के 5.1 प्रतिशत राजस्व घाटे के साथ 17,88,424 करोड़ रुपए (कर राजस्व के अंतर्गत 15,45,396 करोड़ और एनटीआर के अंतर्गत 2,43,028 करोड़ रुपए) तथा राजस्व व्यय 29,29,000 करोड़ रुपए का अनुमान है।

50. 2020-21 की कुल पूंजीगत प्राप्ति 18,95,152 करोड़ (संशोधित) होने का अनुमान है। उसमें से 97.54 प्रतिशत राजकोषीय घाटे में वित्तपोषण के लिए ऋण एवं अन्य देयताओं से संबंधित है। इसके अनुसार, पूंजीगत व्यय के लिए 4,39,163 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है जो राजकोषीय घाटे का लगभग 23.8 प्रतिशत है। कैपेक्स के सृजन के लिए सहायता अनुदान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वायत्तशासी निकायों को दिए गए अनुदान को दर्शाता है जिसे केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के रूप में बजट प्रावधान होने के बावजूद कैपेक्स के निर्माण के लिए निर्धारित किया है।

51. बजट अनुमान 2021-22 में पूंजीगत प्राप्ति के लिए 16,94,811 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है जिसमें ऋण का हिस्सा 89.4 प्रतिशत कम हो गया है। सामरिक आस्तियों के विनिवेश के कारण, बजट अनुमान 2021-22 में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति में वृद्धि की प्रत्याशा है। काफी विकासआत्मक व्यय के कारण कैपेक्स में संशोधित अनुमान 2020-21 से 26.2 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे में संशोधित अनुमान 2020-21 में 78.8 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2021-22 में 75.7 प्रतिशत तक वृद्धि होने की प्रत्याशा है।

2. उत्पादनशील आस्तियों के सृजन के लिए बाजार ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग

52. राजकोषीय घाटे (एफडी) से राजस्व घाटे का अनुपात मुख्यतः सरकार के वर्तमान व्यय के लिए वित्त व्यवस्था के लिए प्रत्युक्त ऋण की राशि को मापता है। इसे बजट अनुमान 2021-22 में 75.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे के अनुपात में पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय में गिरावट के कारण निकट भविष्य में सुधार होने की उम्मीद है। राजस्व व्यय में भारी गिरावट कम ब्याज दर के पूर्वानुमान पर आधारित था जो विदेशों से कम दबाव होने से थोड़ी-सी मुद्रास्फिति के अनुमान पर आधारित है। सब्सिडियों, पेंशन आदि कारण राजस्व व्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में भी कमी होने की प्रत्याशा है।

आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय नीतिगत रणनीति परिदृश्य और राजकोषीय नीति रणनीति

1. कर नीति

i. अप्रत्यक्ष कर नीति

आधारभूत सीमा-शुल्क में परिवर्तन

53. सीमा-शुल्क दर संरचना सरकार की सजग नीति द्वारा प्रेरित होकर निर्धारित की गई है ताकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके जिसमें, अन्य वार्ता के साथ-साथ कच्चे माल पर अपेक्षाकृत कम शुल्क अधिरोपित करने और भारत के विनिर्मित किए जा रहे माल के प्रति युक्तिसंगत प्रशुल्क समर्थन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। सीमा-शुल्क संरचना ऐसे तरीके से अंश-शोधित की गई है जो पेट्रोलियम खोज, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित करता है। इस नीति के अनुसार, बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) की सबसे अधिक तरजीही राष्ट्र (एमएफएन दरें) हाल के वर्षों में ऐसी वस्तुओं पर बढ़ाई गई है जिनका भारत में विनिर्माण किया जा रहा है या जिनका घरेलू उद्योग विनिर्माण करने की चाहत रखता है। तदनुसार, विगत छह वर्षों के दौरान लगभग 4000 ट्रेफिक लाइनों (कुल ट्रेफिक लाइनों का लगभग 1/3 हिस्सा) में बीसीडी का उर्ध्वमुखी अंशशोधन देखा गया है। साथ ही, निविष्टियों और कच्चे माल की शुल्क की युक्तिसंगत किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के प्रभाव का प्रशमन करने के लिए मेडिकल उपस्कर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं जैसे कि वैंटीलेटर, फेस/सर्जिकर मास, व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर, कोविड-19 परीक्षण कीट और तत्संबंधी निविष्टियों पर बीसीडी से अस्थाई छूट (अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर, 2020) दी गई थी।

54. चरणबद्ध विनिर्माण योजना (पीएमपी) उत्पादों (जैसे कि मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं) के वैल्यू चेन के विभिन्न चरणों के संदर्भ में बीसीडी दरें ऐसे तरीके से अंशशोधित किए गए हैं जो घरेलू मूल्यवर्धन के क्रमिक सुदृढीकरण को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोनों के संबंध में कल-पूजों को शुरु में शून्य बीसीडी के तहत रखा गया था जबकि मोबाइलों पर शुल्क अधिरोपित किया गया था। धीरे-धीरे, जैसे-जैसे भारत में उनका उत्पादन शुरु हुआ, कल-पूजों पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क बढ़ाया गया है।

55. एफपीए सदस्य देशों के माध्यम से वस्तुओं को पर्यांतरित करके बेईमान तत्वों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में एक नया अध्याय समाविष्ट किया गया है, साथ ही निगम भी निर्धारित किए गए हैं जिससे कि उन रूल्स ऑफ ऑरिजिन के अधिक कारगर प्रशासन के लिए समर्थकारी उपबंध की व्यवस्था की जा सके जिनके आधार पर आयातकों द्वारा मुक्त या तरजीही व्यापार समझौतों के अंतर्गत तरजीही कर निर्धारण का दावा किया जाता है। प्रस्तावित नई धारा में आयातक पर कतिपय बाध्यताओं के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करने और संदेह होने की दशा में निर्यातक देश से समयबद्ध सत्यापन विहित करने की अपेक्षा की गई है। सत्यापन लंबित होने की तरजीही हितलाभ निलंबित रखा जाएगा और वस्तुओं को विभेदक शुल्क के बराबर सिक्क्यूरिटी उपलब्ध कराए जाने पर ही क्लीयर कराया जाएगा। कुछ मामलों में कर की तरजीही दर में और कोई सत्यापन किए वगैर इनकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम विधान (नियम) भी अधिसूचित किए गए हैं। इसका मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत रूल्स ऑफ ऑरिजिन उपबंधों का दुरुपयोग करके किसी तीसरे देश की वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने की दृष्टि से लम्बे समय तक प्रभाव पड़ेगा।

56. सीमा-शुल्क संरचना, जब और जैसे जरूरत पड़ती है, संबंधित मंत्रालयों और व्यापारिक निकायों से परामर्श करके अंशशोधित की जाती है ताकि घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके और विनिर्मित वस्तुओं के मामले में "मेक इन इंडिया" स्कीम को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे विनिर्मित चीजों की पहचान करने के लिए 2018-19 के आयात आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था जो भारत में बड़ी मात्रा में आयातित किए जा रहे हैं। यह देखा गया है कि जिन प्रमुख विनिर्मित वस्तुओं के आयात में अत्यधिक बढ़ोतरी देखी गयी है वे या तो सूचना प्रौद्योगिकी संधि (आईटी) से आबद्ध सामान या एफटीए निर्यात हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित और पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर शुल्क की एफएफएन दरें पिछले कुछ वर्षों में बढ़ाई गई है ताकि सस्ती यात से घरेलू विनिर्माता उद्योग को बचाया जा सके। यह देखा गया है कि अधिकांश वस्तुओं में, जहां सीमा शुल्क की व्यवहारिक दर बढ़ाई गई है, वहां आयात की भारी मात्रा भारत के एफटीए पार्टनरों के माध्यम से आने शुरू हो गए हैं। शुल्क संरचना में प्रतिलोम को दूर करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं।

पेट्रोल एवं डीजल पर बीसीडी दरों में परिवर्तन:

57. देश में पेट्रोल और डीजल का खुदरा विक्रय मूल्य कच्चे तेल के मूल्य से जुड़े होते हैं। इस वर्ष कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट रही है। यह मूल्य जनवरी में प्रति बैरल लगभग 66 यूएसडी से धीरे-धीरे गिरकर मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रति बैरल लगभग 51 यूएसडी रह गया और बाद में मार्च के दूसरे सप्ताह में तेजी से गिरते हुए प्रति बैरल मूल्य 32 यूएसडी हो गया। मई में कच्चे तेल के भारतीय बास्केट का औसत मूल्य लगभग 32.6 यूएसडी था और वर्तमान में यह 48 यूएसडी प्रति बैरल हो गया है। इस अवधि में कच्चे तेल के मूल्यों में तीव्र गिरावट से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के पुनः अंशांकन करने के लिए कुछ सहारा दिया। कोविड-19 महामारी से लड़ने तथा अवसंरचना विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजकोषीय संसाधन की व्यवस्था करने हेतु अनिवार्य राजस्व वृद्धि के साधन के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित कर वृद्धि की गई। हालांकि, पेट्रोल और डीजल के मूल्य पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा है। अतः जहां एक ओर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खास लाभ उपभोक्ता तक पहुंच सके, वहीं ड्यूटी में समायोजन और सामान्यस्यपरक बढ़ोतरी किए जाने के उपाय को सरकार की वित्त संबंधी बुद्धिमत्ता माना जा सकता है।

सीमा शुल्क विधि एवं प्रक्रिया में परिवर्तन:

58. वर्ष 2020 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जोश पूर्ण भाव से 'तुरंत कस्टम' पहल को है। इस पहल की दिशा फेसलेस, पेपरलेस और कान्टेक्टलेस कस्टम उपायों की ओर है। इनमें से सर्वाधिक नोटिस करने योग्य निम्नानुसार है-

क. मार्च, 2020 से पूरे भारत के आयात पर ऑटोमेटेड "आउट ऑफ चार्ज" की व्यवस्था लागू की गई है। (जिससे माल के पंजीकरण का शुल्क के भुगतान से कोई मतलब नहीं रह गया है)

ख. मई, 2020 तक (पांच) और भागीदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) को ई-संचित के दायरे में लाया जाना।

ग. अप्रैल, 2020 और जून, 2020 से क्रमशः बिल्स ऑफ इन्ट्री और शिपिंग बिल्स की पीडीएफ प्रतियों को ई-मेल के जरिए आयातकर्ताओं/निर्यातकों/ब्रोकरों को सुलभ कराना जिससे उनको इनकी हार्डकॉपी तैयार करने की जरूरत न पड़े।

घ. व्यापारिक उपायों के रूप में सशरीर उपस्थित होने की परंपरा को कम करने के लिए संपर्क रहित सीमा शुल्क उपाय, जैसे कि तुरंत सुविधा केंद्रों की स्थापना किया जाना जिससे आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया सरल हो गई है और बांड्स आदि को आटो डेबिट किया जाने लगा है।

59. समूचे भारत में आयात का 'फेसलेस आंकलन' का शुभारंभ 31 अक्टूबर, 2020 को किया गया था। सीबीआईसी ने फरवरी, 2020 से आयात तथा निर्यात दस्तावेजों में जीएसटीआईएन का उल्लेख करने के लिए निर्यातकों एवं आयातकों को अधिदेशित भी किया है। इसे जीएसटीएन के साथ डाटा को जोड़ने की मंशा से किया गया है ताकि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए जिला/राज्य डाटा प्राप्त हो सके। सीबीआईसी निर्यात के खेप की स्वतः निकासी, नमूने की छेड़छाड़ रहित पैकिंग और उनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग को लागू करने जैसे उपायों के साथ तुरंत कस्टम कार्यक्रम के तहत पहल को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

60. **विदेशी क्षेत्र का उपयोग करते हुए, मेनलैंड भारत से पूर्वोत्तर भारत तथा पूर्वोत्तर भारत से मेनलैंड भारत में माल की आवाजाही में सुधार करने की दिशा में पहल:** सीबीआईसी ने वस्तु परिवहन (विदेशी क्षेत्र के माध्यम से) विनियमन, 2020 एवं परिपत्र 14/2020- सीमा शुल्क, दोनों की तारीख 21 फरवरी, 2020 को जारी किया है जिसमें विदेशी क्षेत्र से होते हुए भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वस्तु के परिवहन के लिए प्रलेखन तथा प्रक्रिया का प्रावधान किया है। विनियमन में अन्य बातों के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जल मार्गों छोटोग्राम एवं मंगला पोर्ट तथा ऐसी आवाजाही को जोड़ने वाली सड़क विस्तार का भी इस्तेमाल करते हुए भारतीय माल के परिवहन आवाजाही को कवर करती है। यह मेनलैंड भारत से पूर्वोत्तर भारत में वस्तुओं की आवाजाही को ही सक्षम नहीं बनाएगा, अपितु सिलीगुड़ी कॉरीडोर (चिकेन नेक) के बजाय विदेशी क्षेत्र से होते हुए से छोटी दूरी के मार्ग का इस्तेमाल करते हुए वस्तुओं की आवाजाही की लागत को पर्याप्त रूप से घटाने की भी आशा की जाती है।

61. **मेक इन इंडिया की ओर कदम बढ़ाना:** सीबीआईसी ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत योजना के माध्यम से भारत में निवेश को आकर्षित करने तथा मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए एक कारगर एवं बाधारहित कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के अनुसार कस्टम बांडेड वेयर हाउसेस में भी विनिर्माण के और अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। इस योजना के सुस्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ आधुनिक बना दिया गया है और इसके अनुपालन की और बहीखाता ठीक रखने की आवश्यकताओं को सरल बना दिया गया है। ऐसा मैनुफैक्चर एंड अपर आपरेशन्स इन स्पेशल वेयर हाउस रेग्युलेशन्स, 2020 को और परिपत्र सं. 36/2020 दिनांक 17.08.2020 को जारी करके किया गया है। 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' और 'ईजी कम्प्लायन्स' के लिए एक सिंगल डिजिटल एकाउन्ट को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा सहज अनुपालन के लिए एक एकल डिजिटल खाता निर्धारित किया गया है।

62. **एफटीए के अनुपालन के लिए पहल:** विभिन्न निःशुल्क व्यापार संधियों (एफटीए) के मूल के नियमों के तहत प्रचालन प्रमाणन प्रक्रियाओं में कमी को पूरा करने और एफटीए के तहत वस्तुओं के अधिमान्य कार्रवाई को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 21 सितम्बर, 2020 से सीमा शुल्क (व्यापार संधि के तहत मूल्य नियमों का संचालन) नियम, 2020 (सीएआरओटीएआर, 2020) को अधिसूचित किया गया है। नए प्रावधान में आयातकों को स्वयं को संतुष्ट होने के लिए सन्यक्त तत्परता का मूल आधार प्रदान करता है कि मौलिक पात्रता के लिए किया गया दावा पूरा किया गया है, और केवल मूल प्रमाण पत्र (सीओ) प्रस्तुत करना ही पर्याप्त नहीं हो सकता है।

63. **आगमन पूर्व कस्टम डाटा के आदान-प्रदान के लिए पहल:** ट्रेड मिस-इन्वाइसिंग की समस्या के समाधान के लिए और बाजिब व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए मालदीव, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के सीमा शुल्क प्रशासन को भारत के साथ लाया

गया है और इन देशों के साथ आगमन पूर्व कस्टम्स डाटा के आदान प्रदान की पाइलट परियोजना शुरू की गई है। मालदीव के सीमा शुल्क के पायलट परियोजनाओं पर एक महत्वपूर्ण प्रगति पहले ही की जा चुकी है। उज्बेकिस्तान के राज्य कस्टम कमिटी तथा भारतीय रिपब्लिक के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के मध्य राज्य की सीमा के पार लाई जाने वाली वस्तुओं पर आगमन पूर्व सूचना के आदान प्रदान पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था और यह 10 दिसम्बर, 2020 से लागू हो गया था। इससे भारत और उज्बेकिस्तान आगमन-पूर्व कस्टम डाटा के आदान-प्रदान पर पायलट परियोजना को कार्यरूप से पाएंगे।

64. सबसे पहले अपना पड़ोस: भूटान के रॉयल गवर्नमेंट ने आग्रह किया है कि आहले (पश्चिम बंगाल में पासाका के पास) से होकर भारत और भूटान के बीच कार्गो वाहनों की आवाजाही और साथ ही भूटान में कोविड-19 के पॉजीटिव मामले में वृद्धि होने के कारण फुएन्टसोलिंग पर मुख्य सीमा बिंदु को सील किए जाने के कारण भूटान से भूटान (भारत से होकर) में भी आने-जाने की अनुमति प्रदान करें। हालांकि आहले उस समय पर ना तो एक अधिसूचित एलसीएस था और ना ही अधिसूचित मार्ग, फिर भी आहले से होकर वस्तुओं की आवाजाही की अनुमति यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई कि आपूर्ति श्रृंखला बनी रहे।

जीएसटी (दरों) में परिवर्तन:

65. 1 जुलाई, 2017 से "एक राष्ट्र एक बाजार, एक कर" के उद्देश्य से जीएसटी को लागू किया गया था। इससे अनेक और जटिल कर संरचना, जिसके करों की भरमार रही है और राज्यों और स्थानीय निकायों आदि के स्तर पर भिन्न-भिन्न रहे हैं, को समेकित किया जा सका है और तरह-तरह के करों की जगह अब एक समान कर और सरल प्रक्रिया की व्यवस्था लागू की गई है। सुधार का मापदंड काफी बढ़ा था और कानून एवं व्यवस्था एक समावेशी रूप में विकसित हुई। सभी स्टेकहोल्डरों का बड़े पैमाने पर भागीदारी रहा। देशभर में एक समान कर व्यवस्था लागू की गई है और साथ ही यह सुनिश्चित हो गया है कि अंतर्राज्यीय व्यापार अवरोध समाप्त हो गया है, लाजिस्टिक्स कार्य सक्षम हो गयी है, परिवहन में लगने वाला समय काफी कम हो गया है करों की भरमार कम हो गई है और एक पारदर्शी, तटस्थ और सक्षम कर व्यवस्था लागू हो गई है। इसमें काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखी गई क्योंकि समूचा राष्ट्र ठीक उसी रूप में कर के बारे में सोचा था। परिषद में शीघ्रतापूर्वक इस पर प्रतिक्रिया दी खामियों का शीघ्रता से निपटान किया गया और समय से आवश्यक बदलाव किए गए। प्रक्रियात्मक खामियों का द्रुत गति से निपटान किया गया। जबकि जीएसटी में सतत सुधार अत्यंत सावधानीपूर्वक किये जा रहे हैं, फिर, भी यह भारत में एवं अभूतपूर्व और निर्णायक कर सुधार रहा है। जीएसटी के लागू होने के साथ ही जीएसटी की दरों के अंशांकन का वृहद्ध कार्य सम्पन्न हुआ जिससे दरें निर्धारित की गईं ताकि राजस्व तटस्थता कायम रह सके। वर्ष 2020 में, वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी दरों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

66. 39वां जीएसटी परिषद में विभिन्न वस्तुओं पर प्रतिलोमित शुल्क संरचना को सही करने के लिए जीएसटी दर के अंशांकन के लिए फिटमेंट कमिटी की संस्तुति पर चर्चा की गई। तदनुसार मोबाइल फोन और विशिष्ट पुर्जों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया था। सभी प्रकार के माचिस पर जीएसटी दर को युक्तिसंगत करते हुए 12 प्रतिशत (हस्तनिर्मित माचिस पर 5 प्रतिशत से और अन्य माचिस पर 18 प्रतिशत कर दिया गया था।

67. हवाई जहाज के रख-रखाव, मरम्मत तथा ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं के संबंध में जीएसटी को पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। बी2बी एमआरओ सेवाओं की आपूर्ति का स्थान भी प्राप्तकर्ता के लोकेशन पर बदल दिया गया। यह बदलाव भारत में एमआरओ सेवाओं की स्थापना में मदद करने के लिए किया गया। भारत में कस्टम स्टेशन क्लियरेंस से भारत के बाहर हवाई अथवा समुद्री मार्ग से वस्तुओं के परिवहन द्वारा सेवाओं पर सीजीएसटी छूट को अधिसूचना सं. 04/2020-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के द्वारा बढ़ाकर एक वर्ष, अर्थात् 30.09.2021 तक किया गया। ईसरो, एन्ट्रिक्स और एनएसआईएल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सैटेलाइट लांच सेवाओं पर जीएसटी छूट से गई जो देशीय सैटेलाइट उद्योग को संरक्षण प्रदान करेगा और

भारतीय व्यवसायियों को वैध जीएसटीआर के बिना घरेलू निर्मित लांच कैपेबिलिटी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और अधिसूचना सं. 05/2020-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 के द्वारा एक समान अवसर प्रदान करेगी।

68. जीएसटी कानून और प्रक्रिया में बदलाव: जीएसटी के तहत 2020-21 में व्यापार एवं व्यवसाय की सुविधा के लिए

- क. रिटर्न का ऑटो जनरेशन: रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को प्रयोगकर्ताओं के लिए आसान बनाने के लिए सरकार ने फार्म जीएसटीआर-1 से जीएसटीआर-3बी में रिटर्न दायर करने के लिए करदाताओं की बाह्य आपूर्तियों के लिए एक आटो-पापुलेशन की व्यवस्था की है और करदाताओं के लिए जीएसटीआर-3बी में मासिक रिटर्न दायर करने के लिए पीडीएफ फार्मेट में फार्म जीएसटीआर-3बी में विवरण को दायर करने की व्यवस्था की है। इसके अलावा, जीएसटीआर 3बी में आटो पापुलेशन ऑफ वैल्यूज की सुविधा शीघ्र शुरू की जाएगी। जिससे स्टोक होल्डर्स के लिए यह सुविधा बहुत आसान बनाई जा सके और इसे कारगर बनाया जा सके।
- ख. एसएमएस के माध्यम से शून्य रिटर्न दाखिल करना: करदाता की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास में, सरकार ने एसएमएस के माध्यम से फार्म जीएसटीआर-3बी और फार्म जीएसटीआर-1 में शून्य जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है जिससे 22 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटी का अनुपालन करने की सुविधा में सुधार होगी। अब, शून्य कर देयता वाले करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर लॉग-ऑन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- ग. अपने आपूर्तिर्ता को जाने: 'अपने आपूर्तिर्ता को जाने' स्कीम से करदाताओं को अपने आपूर्तिर्ताओं के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी, जीएसटी के तहत उनके अनुपालन के बारे में जानने में मदद मिलेगी ताकि उन्हें उन आपूर्तिर्ता के बारे में सूचित विचार मिल सके जिसके साथ वे व्यवसाय/लेन-देन करने की योजना बना रहे हैं।
- घ. ई-इनवॉयसिंग: सरकार ने किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले पंजीकृत करदाताओं के लिए 01.10.2020 से बी2बी लेनदेन के लिए ई-इनवॉयस को लागू किया है। ई-इनवॉयस से व्यवसायियों को कई लाभ हैं जैसे इनवॉयस स्कीम का मानकीकरण, अंतर-व्यापार, इनवॉयस विवरणों को उनके जीएसटी रिटर्न में डालना, स्वतः ई-वे बिल (जहां आवश्यक हो) तैयार करना, प्रसंस्करण लागत में कमी, विवादों में कमी, वेतन चक्र में सुधार है, और इस प्रकार समग्र व्यवसाय कुशलता में सुधार होगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक के पंजीकृत व्यक्तियों के लिए, इसे 1 जनवरी, 2021 से लागू किया जाएगा। यह स्कीम अन्य करदाताओं को चरणबद्ध तरीके से मिल पाएगी।
- ङ. क्यूआरएमपी स्कीम: ट्रेड फेसिलिटेशन के उपाय के रूप में और व्यवसाय करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए, सरकार ने क्यूआरएमपी स्कीम (तिमाही रिटर्न मासिक अदायगी स्कीम) को अधिसूचित किया है जिसके तहत, पंजीकृत व्यक्ति जिनका वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, को कर की मासिक अदायगी के साथ-साथ तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति प्रदान करता है। यह विशेष रूप से ऐसे करदाताओं के अनुपालन भार को कम करेगी और उनके समय और लागत में महत्वपूर्ण बचत होगी। यह सुविधा 1 जनवरी, 2021 से उपलब्ध है।

विभिन्न पहल

69. एसएमएस के माध्यम से शून्य रिटर्न दाखिल करना - पंजीकृत मोबाइल नंबर से एसएमएस की सुविधा के माध्यम से शून्य फार्म जीएसटीआर-3बी और फार्म जीएसटीआर-1 रिटर्न और शून्य सीएमपी 08 चालान दाखिल करने की अनुमति प्रदान करने के लिए 08.06.2020 से सीजीएसटी नियमों में नियम 67ए को जोड़ा गया है। करदाताओं को नवम्बर, 2020 की कर अवधि से पूरी तरह ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर-3बी उपलब्ध कराया गया है। जीएसटीआर-1 और आईटीसी फार्म जीएसटीआर-2बी से देयताएं ऑटो-पॉपुलेटेड होते हैं।

70. मासिक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न स्कीम को 01.01.2021 से अधिसूचित किया गया है। यह स्कीम उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए होंगे जिनका सकल वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। इससे कर आधार का प्रायः 89 प्रतिशत लाभ होगा और अनुपालन भार में भी कमी आएगी। ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष भरे जाने के लिए कुल रिटर्न की संख्या को 24 (12 जीएसटीआर-1 और 12 जीएसटीआर-3बी) से घटाकर 8 (जीएसटीआर-1 और 4 जीएसटीआर-3B) कर दी जाएगी।

71. 01.10.2020 से इलेक्ट्रॉनिक इनवायस प्रणाली को उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए लागू किया गया है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से अधिक है। 01.01.2021 से इसे उन व्यक्तियों के लिए भी उबलबध कराई जाएगी जिनका वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक है। इससे क्रेडिट और इनवायस मैचिंग निर्बाध रूप से कार्य करेगी, जैसा कि जीएसटी व्यवस्था में परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त, यह जीएसटीएन प्रणाली पर डाट के वास्तविक रूप में अपडेट किए जाने में मदद करेगा और इस प्रकार, रिटर्न दाखिल करने में लगने वाले समय में समय की बचत होगी। ई-इनवायस के लागू किए जाने के प्रथम दो माह में, प्रति दिन औसतन 17.8 लाख ई-इनवायस जारी किए गए हैं। 26.09.2019 से जीएसटी रिफंड पूरी तरह से ऑनलाइन है और रिफंड केंद्रित रूप से की जाती है।

ii. प्रत्यक्ष कर नीति

72. प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में, कई उपाय किए गए हैं जिसकी प्रकृति विधायी और प्रशासनिक, दोनों ही है। इसके अतिरिक्त, अनुपालन को कम करते हुए और राजस्व में वृद्धि करने के लिए सूचना नेटवर्क को मजबूत करते हुए इसे पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रत्यक्ष कर प्रशासन में अनेक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष किए गए हैं। इस पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:

- i. **कॉरपोरेट कर की दर में कमी:** सभी विद्यमान घरेलू कंपनियों के लिए 22 प्रतिशत की रियायती कर व्यवस्था और नई विनिर्माता घरेलू कंपनी के लिए नई दर घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। घटाई गई ये दरें केवल उन्हीं कंपनियों के लिए लागू हैं जो छूट/कटौती नहीं लेते हैं।
- ii. **व्यक्तियों के लिए कर दरों का युक्तिकरण:** उन व्यक्तियों के लिए एक रियायती कर व्यवस्था की गई है यदि ऐसे व्यक्ति कोई भी विशिष्ट कर प्रोत्साहन नहीं लेते हैं।
- iii. **लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का समापन:** वित्त अधिनियम, 2020 के द्वारा लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को समाप्त कर दिया गया है। अब, कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 से लाभांश वितरण कर अदा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाभांश आय पर केवल प्राप्तकर्ता के हाथ में उनके लागू दर से कर लगाया जाएगा।
- iv. **स्टार्ट-अप्स के लिए अनुपालन मापदंड को सरल बनाना-** स्टार्ट-अप्स को असुविधा मुक्त वातावरण मुहैया कराए जाते हैं जिसमें आंकलन प्रक्रिया को सरल बनाना, एन्जेल कर से छूट डेटिकेट स्टार्ट-अप सेल का गठन शामिल है।
- v. **अभियोजन के लिए मापदंडों में शिथिलता:** अभियोजन आरंभ करने की सीमा को पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई है। अभियोजन की स्वीकृति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की पैनल प्रणाली आरंभ की गई है और सजा के मापदंड को भी शिथिल किया गया है।
- vi. **विवाद से विश्वास-** उन करदाताओं को और अधिक समय देने के उद्देश्य से, जो विवाद से विश्वास के तहत विवादों को निपटाना चाहते हैं, सरकार ने अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की तारीख को 31 मार्च, 2021 तक और घोषणा दाखिल करने की तारीख को 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम को लागू करने का उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमे को कम करना, सरकार के लिए समय से राजस्व जारी करना तथा करदाताओं को उनकी मानसिक शांति, समय

तथा संशोधनों की निश्चितता और बचत कराते हुए लाभ पहुंचाना है जिसमें अन्यथा लम्बे खींचने वाली और जटिल मुकदमेबाजी में समय लगेगा। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 को 17 मार्च, 2020 को अधिनियमित किया गया।

- vii. **अपील दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा को बढ़ाना-** करदाता की शिकायतों/मुकदमे की प्रभावशाली रूप से कम करने तथा आयकर विभाग को जटिल विधिक मामलों एवं उच्च कर प्रभाव वाले मुकदमे पर ध्यान देने में मदद करने के लिए विभागीय अपील दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा को आईटीएटी के समक्ष अपील के लिए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के लिए 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है।
- viii. **टीडीएस/टीसीएस की गुंजाइश में वृद्धि-** स्रोत कर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह के नेट पर विस्तार करने के लिए कई लेन-देन जैसे भारी मात्रा में नकदी का आहरण, विदेश से आने वाले रुपए, ई-कामर्स भागीदारी, वस्तुओं की बिक्री आदि को अपने परिधि में लिया है।
- ix. **डिजिटल लेन-देन को प्रत्साहित करना-** विभिन्न उपाय जैसे डिजिटल टर्नओवर पर अनुमानित लाभ की दर में कमी, लेन-देन के निर्धारित माध्यमों पर एमडीआर शुल्क को हटाना, नकद लेन-देन की सीमा को कम करना, कुछ नकद लेनदेन का निषेध किए गए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने की सुविधा मिल सके और बेहिसाबी लेनदेन को कम किया जा सके।
- x. **समकारी उगाही-** अनिवासी डिजिटल कंपनियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभ के गैर-कराधान के मामले से प्रभावशाली रूप से निपटने के लिए, भारत में 2016 में एक अंतरिम उपाय के रूप में ऑनलाइन विज्ञापन के राजस्व पर 6 प्रतिशत की दर से समकारी उगाही को लागू किया है। चूंकि डिजिटल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ पर कर लगाने की प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय मतैक्य में अभी भी समय लग रहा है। वर्तमान समकारी लेबी की गुंजाईश को 2 प्रतिशत की दर से समकारी लेबी लगाते हुए वित्त अधिनियम, 2020 के द्वारा अन्य राजस्व शाखाओं को भी शामिल किया गया है।
- xi. **फेसलेस आंकलन-** इसे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 13 अगस्त, 2020 को "पारदर्शी कराधान - इमानदार का सम्मान" प्लेटफार्म के भाग के रूप में लागू किया गया था। फेसलेस आंकलन के तहत। सिवाय गंभीर कपट, धनशोधन के मामले को छोड़कर सभी आयकर आंकलन बिना किसी शारीरिक रूप से उपस्थित हुए फेसलेस तरीके से किए जा रहे हैं। फेसलेस आंकलन प्रणाली वर्षों पुरानी क्षेत्रीय कर प्रशासन और आंकलन को समाप्त कर दिया है। इसमें आकस्मिक रूप से चुने गए वर्चुअल दलों द्वारा किया जाता है। इससे याहच्छिक रूप से चयनित कार्यविशेष दल जिनका अधिकार क्षेत्र परिवर्तनशील होगा, आंकलन का कार्य कर सकेंगे। इस प्रणाली के तहत देश में कहीं भी स्थित अधिकारी करदाता का कर निर्धारण कहीं भी कर सकता है
- xii. **करदाता चार्टर -** इस चार्टर में करदाता के संबंध में आयकर विभाग के कतिपय सिद्धांत दिए गए हैं। इसके साथ ही भारत अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लीग में शामिल हो गया है जिसने अपने करदाताओं के लिए की गई अपनी प्रतिबद्धता इस चार्टर को अपनाकर प्रकाशित कराया है। यह चार्टर करदाता और कर प्रशासन के बीच विश्वास को सृष्ट करने में लम्बी भूमिका निभायेगा। इससे आयकर विभाग की सुपुर्दगी प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में भी मदद करेगा

- xiii. फेसलेस अपील** - फेसलेस अपील स्कीम 25.9.20 को शुरू की गई है जिसमें आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित पड़े कर विवाद के मामलों में अपील करने की पूर्णतः फेसलेस प्रक्रिया का प्रावधान है। इससे बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही निम्नलिखित माध्यमों से बढ़ेगी - (क) आयुक्त (अपील) और अपीलकर्ता के बीच अंतर सम्पर्क को दूर करके, (ख) संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके और (ग) एक गतिशील अधिकार क्षेत्र वाली अपीलीय प्रणाली लाकर जिसमें एक या अधिक आयुक्त (अपील) द्वारा अपील निपटाया जाएगी और साथ ही करदाता अपने दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में दर्ज कर सकेगा और आयकर विभाग में बार बार आने जाने की दौड़ धूप से बचेगा। आयुक्त (अपील) के स्तर पर लगभग 4.6 लाख अपीलें लम्बित पड़ी थी जिनमें से लगभग 4.05 लाख अपीलें अर्थात् लगभग 88 प्रतिशत अपीलों को फेसलेस अपील के तंत्र के माध्यम से निपटाया जा रहा है।
- xiv. दस्तावेज पहचाना संख्या (डीआईएन)** - अब कर विभाग का प्रत्येक पत्राचार चाहे वह कर निर्धारण, अपील, मांग, पूछताछ, दंड या संशोधन या जारी किसी अन्य बात से संबंधित हो, इसमें कम्प्यूटर द्वारा सृजित यूनीक (डीआईएन) होना अनिवार्य है ऐसा नहीं होने पर ऐसा पत्राचार कानून की दृष्टि से अवैध माना जाएगा।
- xv. आयकर विवरणियों को अग्रिम रूप से भरना** - व्यक्तिगत करदाताओं को पूर्व-पारित आयकर विवरणियां (आईटीआर) प्रदान की गई है ताकि कर अनुपालन को और सुविधाजनक बनाया जा सके। आईटीआर फार्म में अब वेतन आय आदि जैसी कतिपय आयों का पूर्व-पारित ब्यौरा दिया गया होता है। पूर्व-फाइलिंग के लिए जानकारी का दायरा आगे और बढ़ाया जा रहा है जिसमें आवास संपत्ति आय, प्रतिभूतियों, बैंक ब्याज, लाभांश आदि से प्राप्त पूंजी लाभ जैसी सूचना भी शामिल की गई है।
- xvi. उन्नत फार्म 26 एएस** - नया प्ररूप 26 एएस (वार्षिक सूचना विवरण) को 01.06.2020 को अधिसूचित किया गया है। पुराने फार्म 26 एएस में कर भुगतानों और टीडीस/टीसीएस से संबंधित सीमित सूचना ही दी गई थी। परंतु नए प्ररूप 26 एएस में विशिष्ट वित्तीय लेनदेन (संपत्ति, बैंक ब्याज, शेयर, मुचुअल फंड आदि), करों का भुगतान, स्रोत पर कर संग्रहण या कटौती, आयकर मांग और प्रतिदायगी, लंबित और पूर्ण आयकर कार्यवाहियों के बारे में सूचना निहित होती है। इससे करदाता सही ढंग से अपनी आय प्रकट कर पायेगा और तदनुसार, करों का भुगतान कर सकेगा। विवरणी को सही ढंग से भरने से सत्यापन/जांच की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी।
- xvii. आधार आधारित त्वरित ई-पैन** - वैध आधार वाले व्यक्तियों के लिए पैन आवंटन सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर शुरू की गई है। यह सुविधा निःशुल्क, पूर्णतः ऑनलाईन है और इसमें किसी प्ररूप को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ई-पैन (पीडीएफ फार्मेट में पैन) ई-पैन की वैधता वास्तविक पैन कार्ड के बराबर ही होती है और इसे आवेदक की पंजीकृत ई मेल आईडी में तुरंत प्रदान किया जाता है।
- xviii. एकीकृत ई-फाइलिंग और सीपीसी 2.0 परियोजना का प्रारंभ** - आयकर विभाग में ई-शासन को बल देने के लिए एकीकृत ई-फाइलिंग और सीपीसी 2.0 परियोजना का विकास किया जा रहा है जो ई फाइलिंग 1.0 और सीपीसी 1.0 परियोजनाओं से मिली सीख पर सफलता हासिल करेगी। यह परियोजना 16.1.2019 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी जो करदाताओं की सेवाओं की प्रदायगी में आयकर विभाग की ई-शासन क्षमता और निष्पादन को बढ़ाने और इसका पूर्ण रूप से कार्यापलट करने की नई प्रक्रियाओं, अत्याधुनिक समाधानों और पद्धतियों को लागू करेगी। इस परियोजना में सभी करदाताओं को सर्वोत्तम अनुभव कराने के लिए भारत में आयकर फाइलिंग और संसाधन को पुनः परिभाषित करने की परिकल्पना की गई है। वेबसाइट की दक्षता और उपलब्धता के साथ-साथ संसाधन संबंधी नतीजों के

अनुसार इस परियोजना के चार घटक होंगे स्पीड, प्रयोज्यता, सुविधा और सटीकता। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने की परिकल्पना की गई है जैसे कि आईटीआर की पूर्व-फाईलिंग सटिकता में सुधार लाने और प्रतिदायगी/प्रसंस्करण समय को कम करने के उद्देश्य से करदाता की स्वीकृति और बकाया कर मांगों के समाधान में करदाताओं की सुविधा, करदाता सहायता हेतु एकीकृत सम्पर्क केन्द्र और डिजिटल मीडिया के माध्यम से करदाता आउटरीच कार्यक्रम तथा करदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं में पर्याप्त वर्धन करने के लिए नियोक्ता/साझेदार प्रत्यायन कार्यक्रम आदि।

- xiX. करदाता आउटरीच कार्यक्रम** - सीपीसी 2.0 परियोजना के तहत विभाग का प्रयास है कि आयकर विवरणियों और इनके प्रसंस्करण और भारत के नागरिकों में सभी संबंधित क्रियाकलापों के बारे में 'सामाजिक-जागरूकता' और 'करदाता शिक्षा कार्यक्रम' सृजित करने के लिए डिजिटल मीडिया का प्रयोग करते हुए, अग्रसक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना ताकि नागरिकों को शिक्षित और सशक्त बनाया जा सके और विभाग के प्रति उनके विश्वास को बढ़ाया जा सके। हमारा उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना और कर आधार में समग्र वृद्धि करना है। इस उद्देश्य के लिए सभी सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम का प्रयोग संबंधित सूचना के प्रचार-प्रसार में किया जा रहा है। और करदाताओं के साथ ट्वीटर पर सक्रिय रूप से सहभागी होने के लिए और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित टीम गठित की गई है।
- XX. परियोजना की अन्तःदृष्टि** - एक एकीकृत डाटा वेयरहाउसिंग और बिजनेस इंटीलेजेंस प्लेटफार्म संचालनरत किया गया है जिससे आयकर विभाग तीन लक्ष्यों नामतः (I) स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना और गैर-अनुपालन को दूर करना; (II) लोगों में विश्वास जगाना कि सभी पात्र व्यक्ति उपयुक्त कर का ही भुगतान करते हैं, और (3) निष्पक्ष और न्यायमूलक कर प्रशासन को बढ़ावा देना, को पूरा करने में सक्षम होगा। एक अत्याधुनिक डाटा वेयरहाउस संचालनरत किया गया है और नियमित रिपोर्ट/एमआईएस सीबीडीटी और सरकार को प्रदान किये जाते हैं ताकि बजट पूर्व विश्लेषण, कारगर कर निर्धारण और नीति निर्माण किया जा सके।
- XXi. ई-अभियान** - अनुपालन प्रबंधन केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीएमसीपीसी) स्वैच्छिक अनुपालन और अनुपालन संबंधी मुद्दों के समाधान में सहायता करने के लिए अभियान प्रबंधन एप्रोच (जिसमें ई-मेल, एसएमएस, अनुस्मारक, आउटबाउंड कॉले, पत्र शामिल हैं) का उपयोग करता है। एक समर्पित अनुपालन पोर्टल (<http://compliance.insight.gov.in>) करदाता को सूचना दर्शाता है तथा अनुपालन की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए ढांचागत तरीके से अनुपालन संबंधी मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करता है।
- XXii. कंप्यूटर समर्थित जांच चयन (सीएएसएस)** - आयकर विभाग जांच (लेखा-परीक्षा) के लिए मामलों के चयन के लिए सीएएसएस को कार्यान्वित कर रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सुझावों और विगत वर्षों में चुने गए मामलों के नतीजों की समीक्षा परस्पर कार्यात्मक समिति (जिसमें कर निर्धारण, जांच, आसूचना, अंतराष्ट्रीय कराधान, अन्तरण मूल्य निर्धारण, जोखिम निर्धारण, प्रणालियों के प्रतिनिधि शामिल हैं) द्वारा की जाती है ताकि परिदृश्यों और मानदण्डों को परिष्कृत किया जा सके। सूचना के स्रोतों के विश्लेषण और पर्यावरणीय छानबीन के आधार पर नए परिदृश्य भी लाए गए हैं।
- XXiii. कर संग्रहण** - ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) करदाताओं द्वारा बैंकों के माध्यम से किए गए कर भुगतानों की उसी समय रिपोर्टिंग, निगरानी और लेखा समाधान को सरल बनाती है। करों का ई-भुगतान नेटबैंकिंग और एटीएम के माध्यम से किया जा रहा है और लगभग 89 प्रतिशत कर इस रीति से संग्रहित किया जाता है जिससे बैंक की शाखा में

जाए बिना घर/कार्यालय से ही किसी भी समय कर का भुगतान करना सरल हो गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में नया भुगतान समाधान (टीआईएन 2.0) सीपीसी 2.0 के तहत प्रारंभ किया जा रहा है। इसके प्रत्याशित लाभ हैं - आरटीजीएस/अन्य चैनलों के माध्यम से कर भुगतान में सक्षमता, कर भुगतान का उसी समय जमा होना और एमआईएस, चालान डाटा और निधियों का 100 प्रतिशत लेखा समाधान तथा चालान त्रुटि शोधन के लिए आनलाइन तंत्र।

XXiv. प्रतिदायगी बैंकर - प्रतिदायगी बैंकर परियोजना के माध्यम से प्रतिदायगियों के निर्धारण, सृजन, निर्गमन, पारेषण और जमा के लिए सिस्टम प्रेरित प्रक्रिया संभव हो पाई है। इस परियोजना से प्रतिदायगी की सुपुर्दगी की प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित, तीव्र और पारदर्शी हो गई है। प्रतिदायगी बैंकर स्कीम के तहत आयकर निर्धारक अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई पेपर और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदायगियां आयकर विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, जिसे विभाग के प्रतिदायगी बैंकर एजेंट के रूप में पदनामित किया गया है, के पास इलेक्ट्रॉनिक फाईलों में भेजी जाती हैं। प्रतिदायगी बैंकर बैंक खातों में पीसीएस या प्रत्यक्ष क्रेडिट भेजता है जहां प्रतिदायगियों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए प्रसंस्कृत किया गया है।

2. व्यय नीति

73. बजट अनुमान 2021-22 में कुल व्यय 34,83,236 करोड़ रूपए पर स्थिर रहा जोकि 2020-21 के कुल व्यय के संशोधित अनुमानों से 32,931 करोड़ रूपए अधिक है। संशोधित अनुमान 2020-21 और बजट अनुमान 2021-22 में कुल व्यय मंत्रालयों/विभागों की सभी जरूरतों के साथ साथ व्यय की गति, अव्ययित शेष राशियों आदि कारकों पर विचार करने के बाद अनुमानित किया गया है।

i. व्यय प्रबंधन

74. भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के माध्यम से देश की विकास संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को निधि पोषित करती रही है। इस तथ्य के आलोक में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम हेतु बजटीय आवंटन को बजट अनुमान 2020-21 से संशोधित अनुमान 2020-21 में 3,39,895 करोड़ रूपए और 8,31,825 करोड़ रूपए से संशोधित करके क्रमशः 3,87,900 करोड़ रूपए और 12,63,690 करोड़ रूपए कर दिया है। वर्ष 2016 में, लगभग 66 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को 28 अम्बेला स्कीमों में यौक्तिकृत किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था इन स्कीमों की चक्रावधि को वित्त आयोग की चक्रावधि के समान रखा जाएगा, जिसकी पहली चक्रावधि 31.3.2020 को समाप्त होनी थी ताकि वित्त आयोग की चक्रावधि में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के पास उपलब्ध संसाधनों का प्रवाह स्पष्ट हो सके।

75. सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि प्रत्येक स्कीम को अगले वित्त आयोग की चक्रावधि के लिए मूल्यांकित और अनुमोदित करने से पहले इसकी मूल्यांकन आधारित परिमाण समीक्षा की जाएगी। तदनुसार, नीति आयोग केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का मूल्यांकन कर रहा है। मंत्रालयों को केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का मूल्यांकन करवाने के लिए भी कहा गया है। पन्द्रहवें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन स्कीमों को 31.03.2021 के बाद भी जारी रखने के लिए अनुदेश व्यय विभाग के दिनांक 08.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा जारी किए गए हैं। पन्द्रहवें वित्त आयोग की चक्रावधि के लिए स्कीमों का मूल्यांकन और अनुमोदन अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगा:

76. **समान उद्देश्य वाली स्कीमों** : अनेक स्कीमों के समान उद्देश्य होते हैं और इसलिए इनके विलय पर विचार किया जा सकता है। इसे उन स्कीमों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है जो राष्ट्रीय विकास के समान एजेंडे या एसडीजी में सहभागी हैं। एसडीजी/राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान की प्रकृति और योगदान की मात्रा या सीमा के आधार पर सामान्य उद्देश्यों वाली और संभावित स्कीमों की पहचान की जा सकती है और फिर इन्हें विलय या अभिसरण के लिए मूल्यांकित किया जा सकता है।

77. **वे स्कीमें जो प्रासंगिक नहीं रही है** : इनमें से कुछ स्कीमों को किसी समय अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों की सहायता के लिए प्रारंभ किया गया था। अब बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ इनमें से कुछ क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गए हैं और इन्हें बजटीय आवंटनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन स्कीमों के लिए पैरामीटरों का निर्धारण किया जाएगा।

78. **समान कार्यान्वयन क्षमताओं वाली स्कीमें** - कतिपय मामलों में सघन रूप से संबंधित कुछ स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी स्तर की क्षमतायें/कौशल अपेक्षाएँ लगभग समान होती हैं। ऐसे मामलों में इन स्कीमों के मूल्यांकन से तैनात की गई क्षमताओं पर बेहतर नतीजें हासिल किये जा सकते हैं और प्रशासनिक खर्चों को कम किया जा सकता है।

79. **अधिव्यापित वाली सीएसएस स्कीमें** - अम्ब्रेला सीएसएस स्कीमों के मामलों में अधिक अभिसारिता और सहभागिता लाने के लिए समान लक्षित लाभार्थियों वाली स्टैंड अलोन स्कीमें लाने की आवश्यकता पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसी तरह की कवायद उन सीएसएस स्कीमों के लिए भी की जाएगी जिनमें केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के साथ या राज्य सरकार की कुछ स्कीमों के साथ अधिव्याप्ति हैं।

80. **अगले और पिछले सहसंबंधों के आधार पर स्कीम का मूल्यांकन** - मंत्रालयों/विभागों में स्कीम में अगले और पिछले सहसंबंध हो सकते हैं विशेषकर उन स्कीमों में जो आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई और वाणिज्य संबंधी मंत्रालयों आदि से संबंधित स्कीमें हैं। इन स्कीमों के बीच सहक्रियाओं और मूल्यों को खोलने के लिए इनके एकीकरण की ओर ध्यान दिया जा सकता है।

81. आउटकम बजट 2021-22 में (क) वित्तीय परिव्यय के साथ (ख) स्पष्ट रूप से परिभाषित निर्गम और परिणाम (ग) माप योग्य निर्गम और परिणाम संकेत और (घ) विशिष्ट निर्गम और परिणाम लक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है इससे पर्याप्त रूप से पारदर्शिता, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता बढ़ेगी और सरकार के विकास एजेंडों को समझना सरल होगा। इस दस्तावेज में 500 करोड़ रूपए और इससे अधिक के परिव्यय वाली बड़ी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के लिए निर्गम- परिणाम फ्रेमवर्क को शामिल किया गया है।

82. व्यय प्रबंधन सुधारों के क्षेत्र में महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा की गई पहलों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

क. **ट्रेजरी एकल खाता (टीएसए)**- ट्रेजरी एकल खाता (टीएसए) के कार्यक्षेत्र में स्वायत्त निकायों (एबी) को लाने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप इसके लिए भी पीएफएमएस और आरबीआई के माध्यम से एक प्रणाली कार्यान्वित की गई है। विभिन्न स्कीमों के तहत इन एबी को किए गए निर्गमों को अग्रिम रूप से जारी नहीं किया जाता और आरबीआई द्वारा जब और जैसे ही एबी और उनके अधीनस्थ एबी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ठीक उसी समय (जस्ट इन टाइम) भुगतान किए जाते हैं। इस प्रणाली से एबी के पास पड़ी बेकार नकदी को इकट्ठा होने से रोका जाता है जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन होता है। वर्तमान में, 15 एबी को टीएसए प्रणाली में शामिल किया गया है।

ख. **प्रकल्प (प्रत्यक्ष कर लेखांकन प्रणाली)** - यह पीएफएमएस का एक माड्यूल है जिसे प्रत्यक्ष करों के लेखा समाधान और लेखांकन के लिए तैयार किया गया है। इसे आरबीआई, एजेंसी बैंकों और टीआईएन के साथ एकीकृत किया गया है जो विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से सूचना साझा करेगा।

ग. **पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले व्यय की पहचान** - पूर्वोत्तर क्षेत्र के आवंटन में से, किए जाने वाले व्यय की प्रक्रिया ऐसी है कि एनईआर संबंधी लेखा शीर्षों पर रिपोर्टिंग उपलब्ध नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग विशिष्ट लेखा शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दस (10%) प्रतिशत जीबीएस की निर्धारित नीति के अंतर्गत व्यय पर नजर रखने के लिए अधिदेशित है, के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वहन किए गए व्यय को प्राप्त करने की आवश्यकता को दर्शाया है। तदनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वहन किए जाने वाले व्यय की पहचान के लिए पीएफएमएस पर पूर्वोत्तर संबंधी व्यय के

लिए एक वृथक फ्लैग तैयार किया गया था। पीएफएमएस में संस्वीकृति माड्यूल में इस चेक बाक्स कार्यात्मकता के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत किए जाने वाले व्यय की पहचान और निगरानी सरल हो गई है। उपयुक्त रिपोर्टें भी तैयार कर ली गई हैं।

घ. **जीआईएफएमआईएस** - वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के अनुरूप पीएफएमएस को बजट नियंत्रण, लेखा आटोमेशन, जेआईटी निर्गम, प्रबंधन सूचना प्रणाली, ऋण लेखाकर और सूचना प्रणाली, कर लेखांकन, कर्मचारी पेरोल सिस्टम, वित्तीय आस्ति माड्यूल और जैसी प्रक्रियाओं और विभिन्न ट्रेजरी कार्यों के संवर्द्धनों के साथ एकीकृत सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (जीआईएफएमआईएस) में विकसित किया जा रहा है।

ii. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

83. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को मौजूदा प्रक्रियाओं को पुनर्निर्मित करने और यह सुनिश्चित करने के साधन के रूप में लिया गया है कि सरकारी स्कीमों और सेवाओं के तहत मिलने वाले लाभ समय पर और उपयुक्त तरीके से अभिप्रेत लाभार्थी तक पहुंचे। डीबीटी फ्रेमवर्क में दोनों लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा आधार के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। डीबीटी के अंतर्गत मुख्य बल सरकारी सब्सिडियों/लाभों की सुपुर्दगी के बजाए अब धीरे-धीरे लक्षित सुपुर्दगी पर दिया जाने लगा है जिसमें लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाता है। डीबीटी के परिणामस्वरूप जन सुपुर्दगी प्रणाली में अत्यधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आई है।

84. **केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में डीबीटी** - डीबीटी एक सफल सुधारक पहल साबित हुई है जिसने 51 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 322 स्कीमों के तहत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक 13.41 लाख करोड़ रूपए से अधिक की सुपुर्दगी की है। स्कीमों को इनके तहत मिलने वाले लाभ की किस्म के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि नकदी स्कीमें, वस्तुपरक स्कीमें, नकदी और वस्तुपरक स्कीमें। नकदी स्कीमों (221 स्कीमों) में सब्सिडियों/लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित करना आवश्यक होता है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं पहल और मनरेगा। वस्तुपरक स्कीमों (44 स्कीमों) में आधार-आधारित सत्यापन करने के बाद वस्तु, जिंसों या सामग्री के रूप में लाभार्थी लाभ प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण हैं - पीडीएस और उर्वरक सब्सिडी स्कीम के तहत खाद्यान्न प्राप्त करना। **नकदी और वस्तुपरक स्कीमें** (57 स्कीमें) मिश्रित स्कीमें हैं जिनके उपर्युक्तानुसार नकदी और वस्तु दोनों घटक होते हैं।

85. **राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डीबीटी** - डीबीटी के कार्यान्वयन में स्कीमों में छोर से छोर तक डिजिटलीकरण, आधार का प्रयोग और वित्तीय समावेशन के कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निष्पादित किए जाते हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अपने यहां डीबीटी की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए अब डीबीटी प्रकोष्ठ स्थापित कर दिए हैं। अब तक, डीबीटी क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 3,834 स्कीमों को चिह्नित किया गया है जिसमें 71 केंद्र प्रायोजित स्कीमों और 1,639 राज्य स्कीमों के 2195 राज्य स्तरीय घटक शामिल हैं। डीबीटी में सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुकरण करने से राज्य अपनी सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय सुक्ष्म जानकारी के आधार पर पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम हुए हैं।

86. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल** - अकादमी वर्ष 2019-20 में 80 छात्रवृत्ति स्कीमों (10 मंत्रालयों से और 11 राज्यों से संबंधित) को एनएसपी पर लाया गया था और 3,052 करोड़ रूपए से अधिक की राशि 70.3 लाख विद्यार्थियों में संवितरित की गई थी। वर्तमान में, अकादमी वर्ष 2020-21 के लिए आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें अकादमी वर्ष 2018-19 के मुकाबले काफी वृद्धि देखी गई है।

87. **डीबीटी प्रगति की वर्तमान स्थिति** - स्कीमों में डीबीटी कार्यान्वयन की प्रगति की डीबीटी भारत पोर्टल के माध्यम से नियमित निगरानी की जा रही है। वित्त वर्ष 2014 में डीबीटी को अपनाए जाने से लेकर 27 दिसंबर, 2020 तक, डीबीटी मोड से 13.4 लाख करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये लाभ अभिप्रेत लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए (गैर-यूनीक क्योंकि वही लाभार्थी एक से अधिक स्कीम के लिए पात्र हो सकता है)। डीबीटी के माध्यम से वार्षिक रूप से अंतरित कुल निधि वित्त वर्ष 2013-

14 में 7367.7 करोड़ रूपए थी जो पर्याप्त रूप से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 381631.2 करोड़ रूपए हो गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 27 दिसंबर तक, अभिज्ञात डीबीटी स्कीमों के तहत 137.6 करोड़ पात्र लाभार्थियों को 2,56,308.2 रूपए अंतरित किए गए हैं।

88. **डीबीटी से प्राप्त अनुमानित लाभ** - डीबीटी से लाभार्थियों के साथ-साथ सरकार को लाभ प्राप्त होते हैं। लाभार्थी स्तर पर, डीबीटी से निर्बाध लाभ सुपुर्दगी को सुकर बनाते हुए नागरिकों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरकार के लिए, डीबीटी के लाभों में सेवा सुपुर्दगी की अधिक गुणवत्ता, मैन्युअल प्रक्रियाओं का कम होना, निधि प्रवाहों का योक्तिकीकरण, धनहानि में कमी और सुपुर्दगी की लागत में कमी। प्रमुख मंत्रालयों और विभागों ने डीबीटी से और संबद्ध शासकीय सुधारों से अनुमानतः 1,78,396 करोड़ रूपए का लाभ होने की रिपोर्ट दी है, जो प्राथमिक रूप से नकली या जाली लाभार्थियों के हटने के परिणामस्वरूप हुआ है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण 71,301.00 करोड़ रूपए की पहल और 66896.87 करोड़ रूपए की पीडीएस है।

केन्द्रबिन्दु क्षेत्र

89. **स्कीमों का योक्तिकीकरण और पुर्नसंरचना** - उमंग (नए युग के शासन के लिए यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन) नामक सिंगल व्यापक मोबाइल प्लेटफार्म के माध्यम से डीबीटी स्कीमों के तहत नागरिक हितैषी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक सूझबूझ भरा जोरदार प्रयास है। उमंग को एनईजीडी इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और इसे डीबीटी स्कीमों के अंतर्गत नागरिकों को आनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टाप मोबाइल सोल्यूशन के रूप में चिह्नित किया गया है। जिन नागरिकों के पास स्मार्ट फोन की सुविधा नहीं है उनके लिए देश भर में 3.9 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से सहायता प्राप्त रीति से उमंग सेवाएं भी उपलब्ध हैं। किसानों के लिए किसान सुविधा नामक स्मार्ट एप कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य किसानों से संबंधित सभी सेवाएं/सूचना प्रदान करना तथा यह एप उमंग पर उपलब्ध है। जब कभी भी आवश्यक हो, लाभार्थियों की सरलता के लिए नई आनलाइन सेवाएं तैयार की जाती हैं और प्रक्रियाओं को पुनर्निर्मित किया जा रहा है। 25 दिसंबर, 2020 तक 94 डीबीटी स्कीमों की आनलाइन सेवाएं और 150 से अधिक सेवाएं उमंग पर उपलब्ध हैं जबकि अन्य स्कीमों का एकीकरण प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, डीबीटी स्कीमों के योक्तिकीकरण और समेकन पर भी सक्रिय रूप से नजर रखी जा रही है, जिसमें अनेक स्कीमों जैसे पीएम किसान योजना, किसान मान धन योजना, पीएम फसल बीमा योजना, उर्वरक सब्सिडी स्कीम आदि के तहत किसानों को नकदी और वस्तुपरक लाभ शामिल हैं। पृथक रूप से, किसानों को उर्वरक सब्सिडी नकदी के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित करने का कार्य प्रगति पर है।

90. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना डीबीटी पैकेज** - कोविड-19 के प्रति अनुक्रिया स्वरूप राहत गरीब व कमजोर नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राहत उपायों की घोषणा की। इसे फ्रंड लोडिंग लाभों द्वारा या तो पात्रताओं में बढ़ोत्तरी करके अथवा लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धन अंतरण द्वारा पूर्व-विद्यमान डीबीटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करके संभव बनाया था।

91. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का सुदृढ़ीकरण**: हाल ही में, भारत में छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल विशेष रूप से प्रक्रिया को लाभार्थियों के अनुकूल बनाने और दुर्विनियोजन की किसी संभावना पर अंकुश लगाने के लिए सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। आधार प्रमाणिकरण का व्यापक उपयोग, आकस्मिक भौतिक सत्यापन, तंत्र सृजित रेड फ्लेग का प्रावधान, आंकड़ों का विश्लेषण, व्यवसाय पत्राचार मॉडल इत्यादि का पर्यवेक्षण कार्यान्वित किया जा रहा है।

92. **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डीबीटी का कार्यान्वयन**: यह पाया गया है कि डीबीटी का कार्यान्वयन समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकरूप नहीं है जो देश में एक सुदृढ़ और प्रभावी डीबीटी पारितंत्र के विकास को प्रभावित करता है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सीधे क्रियान्वित की जा रही डीबीटी योजनाओं का संपूर्ण डिजिटलीकरण करने के लिए प्रयास चल रहे हैं।

iii. सब्सिडी

93. प्रमुख सब्सिडियों का सब्सिडी आबंटन 2,27,794 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,95,620 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें बनाए गए बजट मूल्य से 161 प्रतिशत बढ़ोत्तरी प्रदर्शित होती है। प्रमुख सब्सिडियों का आबंटन लगभग 3,36,439 करोड़ रुपए है जिसमें खाद्य सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा है इसके पश्चात उर्वरक सब्सिडी और ईंधन सब्सिडी आते हैं।

94. खाद्य सब्सिडी - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (एफएंडपीडी विभाग) के बजट में केंद्रीय निर्गम प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनकी बिक्री के बीच अंतर को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है। खाद्य सब्सिडी की निर्मुक्ति को तर्कसंगत बनाने के लिए, भारों के सिद्धान्त को उन राज्यों के लिए जिन्होंने लेखापरीक्षित खातों को समय पर प्रस्तुत करने में चूक की है के लिए खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, भराई लागतों और सांविधिक प्रभारों को छोड़कर प्रापण भारों के सूचीकरण के लाभ को प्रतिबंधित करने के लिए संशोधित किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नियमित रूप से लेखापरीक्षित खातों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए राज्यों सरकारों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि उनके खातों को अंतिम रूप दिया जा सके और बजटीय आबंटन के लिए बेहतर अनुमान लगाया जा सके। खाद्य सब्सिडी को संशोधित अनुमान 2020-21 में 1,15,570 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,22,618 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसे बजट अनुमान 2020-21 में 242836 करोड़ रुपए तक तर्कसंगत कर दिया गया है।

95. उर्वरक सब्सिडी - यूरिया इकाइयों द्वारा प्राप्त रियायती दर (उत्पादन की नाममात्र लागत) और निवल बाजार के बीच अंतर यूरिया विनिर्माण एककों के लिए सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, आयातित यूरिया के मामले में आयात सरकारी खाते से किया जाता है और यूरिया को सांविधिक रूप से निर्धारित मूल्य पर किसानों के लिए बेचा जाता है। यूरिया सब्सिडी नई मूल्य निर्धारण योजनाओं (एनपीएस)-III और संशोधित एनपीएस-iii तथा नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 फीड स्टॉक के रूप में नैफथा का उपयोग करने वाले एककों के लिए दिनांक 17 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार यूरिया विनिर्माण एककों के लिए भुगतान की जाती है। यूरिया के नीम कोटिंग के प्रारंभ से, यूरिया के 45 किलो. के बैग की शुरुआत से और उर्वरक सब्सिडी में सुधारों के दौर में एकरूप भाड़ा नीति जारी है। उर्वरक सब्सिडी के लिए बजटीय आबंटन को बजट अनुमान 2020-21 से संशोधित अनुमान 2020-21 में 71309 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,33,947 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट अनुमान 2021-22 में उर्वरक सब्सिडी के कारण बजट 79,530 करोड़ रुपए है।

96. ईंधन सब्सिडी - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ईंधन सब्सिडी के लिए बजट के रूप में बजटीय आबंटन प्रचालित करता है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य सरकार द्वारा क्रमशः जून, 2020 और अक्टूबर, 2014 से बाजार द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं, और इसलिए, इनके अपने मूल्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा तय किए जा रहे हैं। घरेलू एलपीजी के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को आम आदमी पर डालने के लिए, सरकार ने घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्यों को ईष्टतम करना जारी रखा। तथापि, गैर-सब्सिडी घरेलू एलपीजी के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तनों के अनुरूप ओएमसी द्वारा तय किए जाते हैं। मार्च, 2020 में सरकार ने अनुमोदित किया था कि जब कभी 50.00 अथवा इससे अधिक रुपए तक 14.2 किग्रा. एलपीजी सिलेण्डर के गैर-सब्सिडी मूल्य में गिरावट आती है, तो सब्सिडी सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी के अंतरण में 4.00 रुपए प्रतिमाह कटौती के अतिरिक्त 6.00 रुपए तक और घटाकर अंतरित की जाएगी। कोविड-19 वायरस के विरुद्ध लड़ाई के लिए गरीब की सहायता करने हेतु, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत तीन माह की अवधि के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए निःशुल्क गैस सिलेण्डर देने का निर्णय किया है। ईंधन सब्सिडी को संशोधित अनुमान 2020-21 में 39,055 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40915 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अंतर्राष्ट्रीय ईंधन मूल्यों में लगातार कमी के कारण, बजट अनुमान 2021-22 में 14,073 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है।

iv. अवसंरचना नीति

97. अवसंरचना वित्तपोषण के मुख्य स्रोतों में से एक बैंक वित्तपोषण है जो बैंक देयताओं के रूप में आस्ति-देयता असंतुलन से ग्रसित है, जो अल्पकालिक हैं किन्तु अवसंरचना आस्तियां दीर्घावधिक हैं। यह बैंकों में अनर्जक आस्तियों के मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों को उभारता है। संस्थागत निवेशकों (पेंशन, बीमा और गारंटीकृत स्वस्थ निधियों इत्यादि) को अवसंरचना में आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो आस्ति देयता असंतुलन से प्रभावित नहीं होती हैं। भारत में अवसंरचना में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

98. अवसंरचना ऋण निधियां (आईडीएफ): आईडीएफ अनिवार्य रूप से अवसंरचना कंपनियों को मौजूदा ऋण को पुनः वित्तपोषित करने के लिए साधनों के रूप में कार्य करने के लिए सृजित की गई थीं, जिसके फलस्वरूप बैंकों के लिए नई अवसंरचना परियोजनाओं को उधार देने के लिए नए हैडरूम सृजित किए जा रहे हैं। आईडीएफ से वाणिज्यक बैंकों द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुपूरक उधारी हेतु बीमा और पेंशन निधियों, गारंटीकृत संपदा निधियों इत्यादि से दीर्घावधिक निधियों को चैनेलाइज करने की संभावना थी जो अभिवृद्ध रूप से अपनी आस्ति देयता असंतुलन और प्रदर्शन सीमाओं द्वारा बाधित किए जा रहे हैं। आईडीएफ या तो एनबीएफसी जैसे प्रायोजक निकायों द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं अथवा आरबीआई अथवा म्युचुअल फंडों के रूप में विनियमित हैं जो सेबी द्वारा विनियमित हैं। इस समय सेबी और आरबीआई में छह आईडीएफ, दो आईडीएफ एमएफ (आईआईएफसीएलआईडीएफ और आईएलएंडएफए आईडीएफ) और 4 आईडीएफ एनबीएफसी (इंडिया इंफ्राडेट फंड, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड लिमिटेड, एलएनटी इंफ्रा डेट फंड लिमिटेड और एनआईआईएफ अवसंरचना वित्त लिमिटेड) पंजीकृत हैं।

99. सितम्बर, 2020 तक आईडीएफ के प्रबंधन के अधीन समग्र आस्तियां (एयूएम) लगभग 28,000 करोड़ रुपए थी। वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, आईडीएफ, रियायत प्राप्तकर्ताओं तथा परियोजना प्राधिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय करार पीपीपी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए आईडीएफ हेतु अनिवार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए, एक मॉडल त्रिपक्षीय करार सड़क सेक्टर (बीओटी मॉडल) के लिए तैयार किया था जिसे 2012 में अवसंरचना से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति ने अनुमोदित किया था। 2014 में, इस एमटीए को विभिन्न हितधारकों के बीच जोखिम आबंधन को बिना परिवर्तित किए पत्तन सेक्टर के लिए लागू किया था। एमटीए को टीओटी सेक्टर और एयरपोर्ट सेक्टर के लिए लागू करने की प्रक्रिया पर विचारण अंतिम चरण में है।

100. अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनबीआईटी) और स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी): भारत सरकार ने अवसंरचना वित्तपोषण के लिए नवप्रवर्तन साधनों के रूप में अवसंरचना निवेश न्यासों (आईएनबीआईटी) और स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) को परिकल्पित किया है। आईएनबीआईटी को भारतीय न्यास अधिनियम (1882) के अधीन न्यासों के रूप में सृजित किया है और सेबी के अवसंरचना निवेश न्यास दिशा-निर्देश, 2014 के अनुसार सेबी के साथ पंजीकृत हैं। आईएनबीआईटी पूल ढांचा जो निर्माताओं की उनकी परिपक्व अवसंरचना आस्तियों को मौद्रिकृत करने तथा निवेशकों के व्यापक समूहों से पूंजी जुटाने में मदद करते हैं। ये पारित संगठन हैं और अपने निवेशकों के लिए एक कर सक्षम ढांचा प्रदान करते हैं। यह संरचना आदर्श रूप से एक दीर्घावधिक निवेश क्षितिज के साथ संस्थागत निवेशक के लिए उपयुक्त है।

101. इस समय 8 आईएनबीआईटी (इंडियनफ्रेविट ट्रस्ट, ओरियंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, टॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, डिजिटल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और आईआरबी आईएनबीआईटी फंड) और 2 आरईआईटी (एम्बेसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी और माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स आरईआईटी) सेबी के साथ पंजीकृत हैं। इन आईएनबीआईटी और आरईआईटी ने संचयी रूप से घरेलू और विदेशी निवेशक दोनों से लगभग 76,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र निकाय अपने ऋण भार को कम करने के लिए आस्ति मौद्रिकरण के इस तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल) अपनी प्रचालनात्मक आस्तियों का मौद्रिकरण करने के लिए अपने स्वयं के आईएनबीआईटी स्थापित कर रहे हैं।

102. **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)** वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 तक प्रत्येक तीन वर्ष के लिए है। एनआईपी का लक्ष्य परियोजना तैयारी को सुधारना और अवसंरचना में निवेश आकर्षित करना है। एनआईपी का खाका तैयार करने के लिए, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य बल गठित किया था। इस कार्य बल की वित्त वर्ष 2020-25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन पर अंतिम रिपोर्ट दिनांक 29 अप्रैल, 2020 को माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा जारी की थी। इस समय, परियोजना पाइप लाइन में मार्च, 2021 तक बोली निकालने के लिए 3 लाख करोड़ (41 बिलियन अमरीकी डॉलर) से अधिक की कुल लागत परियोजना के साथ लगभग 176 परियोजनाओं के साथ लगभग 7400 परियोजनाएं हैं। इसमें 1.07 लाख (15 बिलियन अमरीकी डॉलर) करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 215 परियोजनाएं 66000 करोड़ रुपए की एक कुल परियोजना के साथ 42 पीपीपी परियोजनाएं शामिल हैं, पहले ही चालू हो गई हैं।

103. दिनांक 11.11.2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यों से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति ने 8,100 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 2024-25 तक अवसंरचना व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए वित्तीय समर्थन हेतु योजना को जारी रखने और पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था इस योजना का लक्ष्य पीपीपी को सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना में बढ़ावा देना है जिससे आस्तियों का प्रभावी सृजन हो और उनका समुचित प्रचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने तथा आर्थिक रूप से/सामाजिक रूप से आवश्यक परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाना है। यह योजना व्यापक रूप से जनता के लिए लाभकारी होगी चूंकि यह देश के लिए अवसंरचना के सृजन के विकास में सहायता करेगी।

104. प्रस्तावित वीजीएफ योजना को पुनर्जीवित करने से अपेक्षाकृत अधिक पीपीपी परियोजनाएं आकर्षित तथा सामाजिक क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, अवशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति इत्यादि) में निजी निवेश को सुकर बनाएगी। नए अस्पतालों, विद्यालयों का सृजन रोजगार सृजन में तेजी लाने के अनेक अवसर सृजित करेगा। पुनर्जीवित योजना वित्त मंत्रालय के बजटीय समर्थन से वित्तपोषित होगी। आर्थिक अवसंरचना में पीपीपी के लिए वित्तीय समर्थन हेतु इस योजना के अधीन वित्तीय परिव्यय वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः 1100 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए और 1300 करोड़ रुपए है। सामाजिक अवसंरचना में पीपीपी के लिए वित्तीय समर्थन हेतु इस योजना के अधीन प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय आगामी 3 वित्तीय वर्षों अर्थात् 2020-22, 2022-23 और 2023-24 प्रत्येक के लिए 400 करोड़ रुपए है।

3. सरकारी ऋण, उधार और निवेश

105. 2020-21 में अपने जीएफडी को वित्तपोषित करने के लिए ट्रेजरी बिलों के माध्यम से निवल ऋण 2,25,000 रुपए रखा गया है। इसके अतिरिक्त राज्य भविष्य निधि और सार्वजनिक खातों से अन्य प्राप्तियां राजकोषीय घाटे के शेष भाग को वित्तपोषित करेंगी। देश के ऋण विवरण पर उन्मुख विशेषताओं में से एक कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में बाहरी ऋण का निम्न अनुपात है। बाहरी ऋण विकास परियोजनाओं का वित्तपोषित करने के जेआईसीए, आईएडीए, आईएफसी इत्यादि जैसी चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों से बहुपक्षीय/द्विपक्षीय ऋणों तक सीमित है, और, इस प्रकार पूंजीगत प्रवाहों को अभिशून्य करने के लिए प्रदर्शित नहीं है। बहुपक्षीय संस्थाओं से ऋण मार्च, 2020 की समाप्ति तक बाहरी ऋणों का महत्वपूर्ण भाग है, जो व्यापक रूप से रियायती शर्तों पर हैं।

106. केंद्रीय सरकारी ऋण की परिभाषा को एफआरबीएम अधिनियम, 2018 में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। भारत की समेकित निधि से कुल बकाया देनदारियों के अलावा इसमें भारत के सरकारी खाते और किसी भी निकाय अथवा निगम की वित्तीय देनदारियों या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन संस्थान या नियंत्रित सभी देनदारियां शामिल हैं जिसे उस तिथि की समाप्ति पर उपलब्ध शेष

नकद को घटाते हुए सरकार को पुनर्भुगतान या वार्षिक वित्तीय विवरण से अदा करना है। विदेशी ऋण जो भारत या समोक्त निधि की प्रतिभूति पर एक देनदारी है, को वर्तमान विनिमय दरों पर मूल्यांकित किया है।

107. केंद्रीय सरकारी ऋण का सही प्रतिनिधित्व ऋण के लिए प्रारंभ बिन्दु प्रबंधन और नियंत्रण है। इसी समय, इसमें सरकारी उधार के रूप में सभी सीपीएसई/स्वायत्त निकायों की सभी देनदारियां शामिल नहीं हैं क्योंकि ऐसे निकाय कारपोरेटों के ऋणों की अधिकतर उधारी उनके व्यापार कार्यकलाप के उद्देश्य से ली जाती है। सरकार ने ऐसे ऋणों की पहचान की है जो संघ सरकार के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रयोजनों के लिए हैं। ये ऋण अतिरिक्त बजटीय और अन्य स्रोत (भारत सरकार के रूप में सेवा बांड और एनएसएसएफ ऋण) के रूप में संदर्भित हैं, को केंद्रीय सरकार ऋण की परिगणना में शामिल किए जा रहे हैं। ऐसे ऋणों का ब्यौरा व्यय रूपरेखा में विवरण 27 के रूप में भी दिया गया है। वर्ष 2004 से, केंद्रीय सरकार का ऋण वर्ष 2004-05 में जीडीपी का 66.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 3.1 प्रतिशत हो गया है। (अनंतिम)

आकस्मिक और अन्य देयताएं

108. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताएं 2004-05 में रु. 1,07,957 करोड़ से बढ़कर 2019-20 की समाप्ति तक सही अर्थों में 4,66,881 करोड़ हो गई है। गारंटियों पर एफआरबीएम सीलिंग जिसका सरकार द्वारा किसी वित्त वर्ष के दौरान अनुमान लगाया जा सकता है, जीडीपी अनुपात के संबंध में आकस्मिक देयता घट गई है। यह अनुपात जो 2004-05 में 3.3 प्रतिशत था अब 2019-20 में 2.3 प्रतिशत तक बढ़ गया है। एफआरबीएम नियम 2004 में यथानिर्धारित सकाय गारंटियों पर प्रकटीकरण वक्तव्य प्राप्ति बजट [भाग ख के 1(iii)] के परिशिष्ट में दिया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान गारंटियों के स्टॉक की बढ़ोत्तरी 17,307.67 करोड़ रुपए थी।

च. आगामी वर्ष के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं

109. सरकार का मुख्य फोकस व्यय पक्ष पर आगामी वर्ष में पूंजीगत आस्तियों, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और जल संरक्षण के सृजन को बढ़ाने के लिए होगा जो सतत् फोकस सेक्टर बना रहेगा।

छ. अधिनियम की धारा 4(5) और धारा 7(3)(ख)(1) में उल्लिखित लक्ष्यों से विचलन के कारणों का वर्णन करने वाला विचलन विवरण

110. सं.अ. 2020-21 के लिए राज्यकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी की बजट अनुमान 2020-21 के 3.5% की तुलना जीडीपी का 9.5% रखा गया है। आर्थिक समृद्धि और अन्य राजकोषीय मानदंडों पर कोविड महामारी की अभूतपूर्व प्रकृति ने राजकोषीय घाटा लक्ष्य को वर्तमान में बढ़ा दिया है।

111. वि.व. 2020-21 की प्रथम तिमाही में, कोविड महामारी की पूर्ण सीमा अभी भी अज्ञात है। केन्द्रीय सरकार के व्यय के महत्वपूर्ण निर्धारकों में से वित्त आयोग शिफारिशें हैं। 2020-21 के आरंभ होने वाले 5 वर्षीय चक्र के लिए 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट नवम्बर, 2020 में प्रस्तुत की थी। उक्त के आलोक में सरकार एफआरबीएम अधिनियम की धारा 3(1ख) के अधीन यथा अधिदेशित सदन के पटल पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मध्यवधि व्यय रूपरेखा विवरण पेश करने में असमर्थ थी।

112. सरकार एफआरबीएम अधिनियम का संशोधित करेगी इसलिए, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए इस विवरण के साथ कोई राजकोषीय प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है।
